पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 09, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–52

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	915–984	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	601–614	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	09–12	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	671–687	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–1

19 सितम्बर, 2023 ई0

ई–पत्रावली संख्याः 16014–

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः–प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः डीजी–एक–113–2018 दिनांक 08.02.2022 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पदों के ढांचे को निम्नानुसार पुनर्निधारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. सं.	श्रेणी/वेतनमान	वर्तमान में सृजित पद	नवीन सृजित पद/पदनाम परिवर्तन	नवीन सृजित पदों की संख्या	संशोधित ढांचे में कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतम वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–14, ग्रेड पे 10000	00	पुलिस महानिदेशक के सहायक	01	01	पुलिस महानिदेशक के उप सहायक, वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 (ग्रेड पे–5400) के पूर्व सृजित पद को समाप्त करते हुये।
2	अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–13'क', ग्रेड पे 8900	03	1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी 2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय	02	02	अपर पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण/मुख्यालय वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 (ग्रेड पे–8700) के पूर्व सृजित पद को समाप्त करते हुये।

3	अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी वेतन मैट्रिक्स लेवल–13, ग्रेड पे 8700	04	1. अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, देहरादून 2. अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सेक्टर, नैनीताल 3. अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सेक्टर, देहरादून	03	06	कमांक–2 पर अंकित अभ्युक्तिनुसार पूर्व सृजित 01 पद समाप्त किये जाने के दृष्टिगत कुल पदों की संख्या–06
4	अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी प्र थ म पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–12, ग्रेड पे 7600	09	1. अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, देहरादून 2. अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, अपराध, हरिद्वार 3. अपर पुलिस अधीक्षक, हल्द्वानी 4. अपर पुलिस अधीक्षक, काशीपुर 5. उप प्रधानाचार्य, पी0टी0सी0, नरेन्द्रनगर 6. अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, निदेशालय (पदनाम परिवर्तन)	05	14	अपर पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 (7600 ग्रेड पे) पद नाम को परिवर्तित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक यातायात निदेशालय (7600 ग्रेड पे) नया पदनाम किया जाता है।
5	अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी द्वितीय, वेतन मैट्रिक्स लेवल–11, ग्रेड पे 6600	19	1. अपर पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा (पदनाम परिवर्तन) 2. अपर पुलिस अधीक्षक, टिहरी (पदनाम परिवर्तित)	–	19	इस श्रेणी के अपर पुलिस अधीक्षक, सर्तकता देहरादून एवं अपर पुलिस अधीक्षक, सर्तकता, नैनीताल के पदनाम परिवर्तन किये जाते हैं।
6	पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–11, ग्रेड पे 6600	21	1. पुलिस उपाधीक्षक, यातायात/लाईन, साईबर सेल, देहरादून 2. पुलिस उपाधीक्षक, यातायात/लाईन साईबर सेल हरिद्वार	02	23	–
7	पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–10, ग्रेड पे 5400	92	–	–	91	कमांक–1 पर अंकित अभ्युक्तिनुसार पूर्व सृजित 01 पद समाप्त किये जाने के दृष्टिगत कुल पदों की संख्या–91
	कुल योग–	145	–	13	156	पूर्व सृजित 145 पदों में से 02 पदों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कुल पदों की संख्या–143+13=156

2– उक्तानुसार संशोधित ढांचे में स्वीकृत पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवावधि के सम्बन्ध में संगत सेवा नियमावली (उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009) में यथावश्यक संशोधन पृथक से किये जायेंगे।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः 1/154447/2023/XXVII(7)/2023 दिनांक 13.09.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण

30 अगस्त, 2023 ई0

संख्या 150546/2023/45(100)/XXVII(8)/2005–शासन के पदोन्नति आदेश सं0–138301/2023, दिनांक 14.07.2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत 03 संयुक्त आयुक्त, राज्य कर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में अपर आयुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल '13A' वेतनमान रू0 131100–216600 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

02– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तैनाती स्थल/कार्यालय में तैनात/स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय
1	श्री राकेश वर्मा, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, कुमाऊ जोन, रूद्रपुर।
2	श्री धीरेन्द्र सिंह नबियाल, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, (ऑडिट) राज्य कर, मुख्यालय।
3	श्री पान सिंह डुंगरियाल, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, गढवाल जोन, हरिद्वार।
4	श्री बी0एस0 नगन्याल, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय।

03– उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए योगदान आख्या शासन को तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

In pursuance of the provision of the Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to publish the following English Translation of Notification No.1145/VII-3-23/04(01)-MSME/2023 dated 09 August, 2023 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES SECTION

NOTIFICATION

September 06, 2023

No.1253/VII-3-23/04(01)-MSME/2023--The Governor is pleased to allow to promulgation of the Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprises Policy, 2023, for employment creation and self-employment in line with the present scenario and projected future in view of inclusive development of MSME sector, developing favourable ecosystem.

Preamble

1. Micro, small and medium enterprises have a significant contribution in the state's economy. After the agriculture sector, maximum employment is provided by the micro, small and medium enterprises sector. The state government is determined to promote capital investment and create employment opportunities in the state. Financial incentives have been provided through various policy arrangements to encourage the establishment of large industries including MSMEs, but due to the problems of infrastructure, credit linkage, marketing in the MSME sector, especially in the industrially backward hill districts progress has not been made up to the mark. Therefore, for healthy competition from other neighboring states, it is necessary to give financial incentives by further promoting this sector. Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprises Policy-2023 is being declared by the state government in order to promote the inclusive development of the MSME sector in a focused manner and in view of developing a favorable ecosystem, according to the present scenario and projected future.

Objective

2.
- To position Uttarakhand globally as a leading destination for Micro, Small and Medium Enterprises, especially startups, products based on local raw materials, renewable and green energy and pollution free industries, which are safe, sustainable and inclusive and have high quality manufacturing potential along with additional employment opportunities availability.
- To provide access to capital for the establishment of new micro, small and medium enterprises, so that by attracting maximum investment in the state, there can be a healthy competition with other states.
- To encourage expansion, scaling-up and diversification of existing MSMEs.
- Maximum employment generation in New as well as Existing units.
- Efforts to reduce regional disparities and disparities between different sections of the society on the parameters of entrepreneurship, employment and per capita income.
- Maximum benefit of financial incentives to promote the establishment of Micro and Small enterprises in the state.
- Creation of a sensitive administrative system equipped with excellent modern technology for upgradation of already established units and solving the problems of entrepreneurs.

Strategy

3. To realize the objectives of the policy, the state government will prepare an action plan according to the following strategy-

- Providing resources for expansion and technical upgradation of existing enterprises, strengthening infrastructure facilities and providing assistance in marketing of manufactured products.
- To specifically address the looming issues of Micro, Small and Medium Enterprises and ensure access to capital and markets by simplifying procedures.
- Facilitating availability of land/space for establishment of new enterprises, development of new infrastructure facilities and upgradation of existing infrastructure facilities.
- Creation of conducive industrial environment for doing business with ease and convenience.
- Promotion of sustainable and inclusive development keeping in view the environmental balance.
- Financial incentives and rewards for quality production and standardization.
- To reduce the debt burden on the enterprises in the state by providing financial incentives on term loan taken through banks, for the establishment of new units and adequate expansion of existing units.
- Permissibility of financial incentives for investment attraction and simplification of input procedure.
- In order to solve the problem of regional imbalance, giving special incentives for setting up and upgrading of enterprises in remote and hilly areas.
- Providing additional incentive facility to increase the participation of Divyang, women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes keeping in view the imbalance between different sections of the society.
- To encourage technical upgradation for quality development of products of Micro, Small and Medium enterprises.
- Providing more incentives to products having more potential in the state.
- To encourage enterprise establishment in the form of clusters.
- In accordance with the "One District One Product" program of the Government of India, to increase the identity of the identified products under the "One District Two Products" policy promulgated by the State Government and to make the products manufactured in the state accessible to the market, to give special incentives to the products marked under One District Two Products (ODTP) and the GI (Geographical Indicators) tag of the state.
- Convergence with State Government schemes and resources to take maximum benefits of Government of India schemes and resources.
- To coordinate with Mudra, Start-up India, Stand-up India, Make in India, Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana and other mission mode programs and schemes of the Government of India, making plans of the state government.
- To encourage product branding "Make in Uttarakhand" for global recognition.

Definitions

4. (i) State, means the State of Uttarakhand.

(ii) Policy, means to Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprises Policy-2023.

(iii) Micro, Small and Medium Enterprises means as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and its amendments from time to time.

At present, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India's notification dated 01.06.2020, while amending the "Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006", has made the following changes in the definition of Micro, Small and Medium Enterprises:

a. **Micro** - A micro enterprise is one, in which the investment in plant and machinery or equipment does not exceed one crore rupees and its turnover does not exceed five crore rupees.

b. **Small** - A small enterprise is one, in which the investment in plant and machinery or equipment does not exceed ten crore rupees and its turnover does not exceed fifty crore rupees.

c. **Medium** - A medium enterprise is one, in which the investment in plant and machinery or equipment does not exceed rupees fifty crore and its turnover does not exceed rupees two hundred and fifty crore.

(iv) **Manufacturing/Producer Enterprise**: Manufacturing/Producer Enterprise means an enterprise engaged in the manufacture or production of goods or final products relating to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, bearing a distinct name; or characteristic or use and which uses plant and machinery in value addition to the final product.

(v) **Startup** means a startup recognized under the Uttarakhand Startup Policy-2023 and which is manufactured within the geographical limits of the state of Uttarakhand.

(vi) **GI tag product** means the GI tag registered products issued by the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India for the products of Uttarakhand state area and which are manufactured in the geographical limits of the state of Uttarakhand.

(vii) **One District Two Product (ODTP)** means the product identified under Uttarakhand State's One District Two Product Scheme-2021 and which is manufactured in the geographical limits of Uttarakhand state.

(viii) **Cluster** means to a group of minimum 10 production units producing a similar product/complementary product/service, belonging to a value chain, located in a continuous geographical boundary, requiring similar physical facilities/resources.

(ix) **Commencement of commercial production** means starting of commercial scale production by fully installing the plant and machinery/equipment in the unit, after trial production, through operating the installed plant and machinery.

(x) **New industrial unit** means an industrial unit which has started its commercial production after the issue of this policy.

(xi) **Substantial expansion of an existing enterprise** means an industrial unit which has already started commercial production/operation before the date of issue of this policy and the existing unit plans to expand its production

capacity/operation after the issue of this policy. The existing fixed capital investment (building, plant & machinery/equipment) has been increased by a minimum of 25 percent for the purpose of Expansion/diversification and by this the capacity of the unit has been increased by a minimum of 25 percent.

(xii) **Fixed Capital Investment**: Investment made by MSME units in building, plant and machinery and other equipment engaged in production work and such other assets, which are required for the manufacture of the final product before commercial production. The following shall be taken into account for determination of fixed capital investment-

(a) **Building:** Building means a new workshop building constructed for the project, including storage facilities and other buildings constructed in connection with the manufacturing process. Under the project cost, the required and actual expenditure incurred on the new workshop and buildings constructed for other industrial purposes will be calculated as follows:

i. A building constructed for the installation of plant and machinery,

ii. Building for research and development (R&D) activities,

iii. Building for in-house testing facilities,

iv. Buildings constructed for storage facilities and other activities related to the manufacturing process,

v. Fire fighting and power transmission system room,

vi. Built-in tank for water connection.

(b) **Plant, Machinery and Equipment (Plant and Machinery):** Plant and Machinery means new plant and machinery, dies and molds and such other equipment, which are directly used for the manufacture/operation of the product. The cost of the project will also include the expenditure incurred on installation of plant and machinery, internal power lines, switch board, MCB box etc. for operation of plant and machinery, transportation cost of plant and machinery and insurance expenses. If electrical sub-station or transformer is installed for operation of plant and machinery, then their cost will also be calculated under electrification.

The following expenditure may also be included in plant and machinery:-

i. Plants for non-conventional energy generation.

ii. Captive power plants for power generation, plants for non-conventional energy production. Captive power plants will be taken into account for incentive calculation in the form of plant and machinery, only when the energy produced from them is used by the unit for itself.

iii. Testing Equipment.

iv. Plant for purification of water for manufacturing enterprise.

v. Plant for pollution control measures, including facilities for collection, treatment, effluent/emission or disposal of solid/gaseous hazardous waste.

vi. Diesel generator sets and boilers.

vii. ETP plant for manufacturing enterprise.

(xiii) **Food processing industry** refers to value added products created after processing (using plant and machinery) of agricultural/horticultural produce that are different from their original physical form, have commercial utility and are used as food items. can be used as. Such as: ready-to-eat food products, food additive, preservatives, colors and fragrances, and value-added products manufactured from milk.

(xiv) **Single-use plastic product** refers to a plastic item as defined in Ministry of Environment, Forest and Climate Change's notification No. 459, dated 12.08.2021, which is to be used only once for a single purpose before disposal or recycling.

(xv) **Plastic waste processing** means the process by which plastic waste is handled for the purpose of reused, recycling, co-processing or transformation into new products, as defined by Ministry of Environment, Forest and Climate Change's notification no. 459, dated 12.08.2021.

(xvi) **Alternative product of single use plastic** refers to such products, which have been mentioned in Annexure-I of Uttarakhand Government Micro, Small and Medium Enterprises Section notification no. 374/VII-3-23/04(01)/MSME/2022, Dated: 22 February, 2023.

(xvii) **Furnace means** the huge confined blazing fire used for melting metal and heating any object.

(xviii) **Units owned by SC/ST/Women/Divyang** refer to such units, which are either wholly owned by entrepreneurs of this category or have minimum share capital of 51 percent or more from partners/directors of this category in partnership or incorporated company.

(xix) **Priority category enterprise** means the manufacturing enterprise mentioned in paragraph-6 (b) under this policy.

(xx) **Most-priority category** enterprise means the manufacturing enterprise mentioned in paragraph-6 (c) under this policy.

(xxi) An **Anchor Enterprise** means an enterprise which has a minimum capital investment of Rs 10 crore in plant and machinery and has given permanent employment to a minimum of 25 persons and has at least 7 subsidiary enterprises operating within the state.

(xxii) **Ancillary Enterprise** means an enterprise which supplies at least 50 per cent of its total annual production to its anchor enterprise established in the State.

(xxiii) **Permanent Employment** means permanent/native workers/labourers of the state regularly employed in management/skilled/unskilled labor class by the employer in registered established industries, to whom salary/wages are paid directly by the employer. Employment provided through contractors will not be included in the category of permanent employment.

5. **Classification of areas for admissibility of financial incentives**

The districts and regions of the state have been classified into the following four categories for admissibility of financial incentives keeping in view the geographical conditions and industrial development in these districts /region. This classification has been done on the basis of location, border of neighboring state and distance from the market, and economic development and backwardness of the area:

Category	District/ Covered Area
A	Entire area of district Pithoragarh, Uttarkashi, Chamoli, Champawat, Rudraprayag and Bageshwar.

B	Entire area of district Almora and Pauri Garhwal.
	The mountainous dominated area of district Tehri Garhwal.
	Nainital district (Bhimtal, Dhari, Betalghat, Ramgarh, Okhalkanda development block) and Dehradun district (Chakrata development block).
C	Plain areas of district Tehri (Dhalwala, Tapovan, Muni ki Reti and plains of Fakot development block attached to it).
	Areas with a height of more than 800 meters above sea level in Raipur, Sahaspur, Vikasnagar, Kalsi and Doiwala development blocks of Dehradun district.
	Areas with a height of more than 800 meters above sea level in Kotabagh development block of Nainital district.
D	Entire area of district Haridwar and Udham Singh Nagar.
	Whole areas of Ramnagar, Haldwani development blocks, Municipal Corporation Haldwani, Nagarpalika Lalkuan, Nagarpalika Ramnagar of Nainital district and areas of Kotabagh development block of Nainital district having a height of 800 meters or less from the sea level.
	Areas of Raipur, Sahaspur, Vikasnagar, Kalsi and Doiwala development blocks of Dehradun district which are 800 meters or less above sea level and areas of Dehradun Municipal Corporation.

6. **Identified Activities/ Activities for admissibility of financial incentives**

(a) **Permissible activities/activities of manufacturing sector:-**

i. All other manufacturing enterprises of micro, small and medium category, except the enterprises given in the Prohibited list.

ii. Energy production in non-conventional way.

Prohibited List: Annexure-1 (A)

(b) Manufacturing Enterprises of the **Priority Category: Annexure-1 (B)**

(c) Manufacturing Enterprises of the **Most-Priority Category: Annexure-1 (C)**

7. **Institutional Arrangements**

7.1 **Ease of doing business, creation of favorable environment and sensitive administration-**

Technically competent and sensitive administrative machinery has an important contribution in the successful implementation of the policies and schemes and programs made by the government. Therefore, the organizational structure will be strengthened for effective implementation of the schemes. The development of technical capability of the personnel and the required sensitivity for the industry friendly environment (conducive industrial environment) will be inculcated. The State Government will modernize the District Industry Centers by providing technical facilities, so that services such as efficient helpdesk for providing advice, effective implementation of single window system and project preparation of enterprises, etc. can be made available

smoothly. For this, the services of expert consultants will be obtained as far as possible. For this, the infrastructure of District Industry Centers will be improved, they will be connected with high speed internet/broadband and video conferencing facility will be made available. Every application/problem/suggestion received in the office through ERP/special software will be listed and the action being taken on it will be continuously supervised online. All the services of the department will be done online as far as possible.

7.2 A dedicated **'Investment Promotion and Facilitation Centre' (IPFC)** is already functioning at the level of Directorate of Industries and District Industries Centre, acting as a centralized one-stop-shop for investors/businessmen in a coordinated manner. Providing systematic handholding support from all required resources and equipment will be made available to make these investment promotion and facilitation centers effective.

7.3 **Separate helpdesk service** will be made available for women and differently-abled entrepreneurs.

7.4 **Enterprise promotion and investor facilitation** are included in the major functions of the District Industry Centers. While it is absolutely necessary to develop entrepreneurship among the youth of the state for enterprise promotion, proper human resources are also necessary to enable the district industry centers for investor facilitation. To fulfill both these objectives, the state government will bring a plan/program, where retired experienced expert personnel of banks/financial institutions, government departments or students studying/passed out in professional and technical, management institutes will be recruited to meet the human resource requirement of District Industry Centers. Will be taken on contract for short term service on contract basis as Young Professional/Intern. At the time of internship, the students/young professionals themselves will be familiar with the process of starting and operating an enterprise, as a result, this internship will be like a practical Entrepreneurship Development Program (EDP) for them and thus the District Industries Center will act as a nursery for future entrepreneurs.

7.5 In order to encourage the existing Micro, Small and Medium industries for expansion and diversification, facilities will be made available like new units under certain conditions.

7.6 On the lines of the cluster development scheme run by the Government of India for micro, small and medium enterprises, 50 **clusters** will be developed in the state during the plan period for establishment of micro, small and medium industries in the form of clusters. Through these clusters, institutional facilities and financial incentives will be provided for the sustainable development of micro, small and medium enterprises and general issues related to them, such as technology upgradation, skill and quality development, access to market and capital. Apart from this, Common Facility Centers will also be established in such clusters, so that the industries set up in the clusters can take advantage of them. For each cluster by the State Government, a maximum of Rs. 05 crore assistance will be given as financial incentive for land and land development, creation of infrastructure

facilities, machinery and equipment, establishment of common facility center and availability of other essential requirements.

7.7 To solve the problems of entrepreneurs, the system of **Web-based Online Portal and Call Center** will be further strengthened.

7.8 In order to ensure easy availability of land to micro, small and medium enterprises, a policy will be announced for the establishment of Industrial Estates/Areas in the private sector and in this policy financial incentives will also be given to the promoters of the private sector.

8. **Financial Incentive Assistance** -

In order to attract maximum investment in the state and to maintain competitiveness relative to other states, the state government will provide financial incentive/reimbursement assistance under certain terms and conditions as follows:-

8.1 **Detailed Project Report (DPR) Assistance** - New micro enterprises of the identified category to be established in the state will be given assistance for preparing Detailed Project Report (DPR). For this, the consultants will be Empanelment by the Directorate of Industries, Govt. of Uttarakhand. On preparation of detailed project report by the Micro enterprises to be established in the state from the nominated consultants, 75 percent of the expenditure incurred in the form of fee will be reimbursed to the concerned enterprises after their commercial production, on submission of claim.

8.2 **Stamp Duty Reimbursement:** Reimbursement of Stamp Duty, chargeable on land leased/purchased/acquired by the entrepreneur for the establishment of New Micro, Small and Medium enterprises of identified categories in A, B, C and D category districts/areas as given below, after starting the commercial production and submitting the claim through the establishment of the enterprise-

Category of District/Area	Percentage of Stamp Duty Reimbursement
Category -A	100 Percentage
Category -B	100 Percentage
Category -C	75 Percentage
Category -D	50 Percentage

8.3 **Capital Subsidy:** On the basis of fixed capital investment made in workshop building and plant and machinery/equipment, by the 'New' and 'Existing Units after substantial expansion', Micro, Small and Medium enterprises of identified category, will be eligible for following Capital Investment Subsidy:-

Category of Unit	Micro	Small	Medium

Category of District/ Area	Capital Investment of Plant and Machinery/ Equipment upto Rs. 1 Crore	Capital Investment of Plant and Machinery/ Equipment more than Rs. 1 Crore, upto Rs.5 Crore	Capital Investment of Plant and Machinery/ Equipment more than Rs. 5 Crore, upto Rs.10 Crore	Capital Investment of Plant and Machinery/Equipment more than Rs. 10 Crore, upto Rs.50 Crore
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category -A	50% of fixed capital investment (Maximum Rs.50 lakh)	Rs. 50 lakh + 25% of additional fixed capital investment above Rs. 01 crore (maximum Rs. 1.50 crore)	Rs. 1.50 Cr. + 20% of additional fixed capital investment above Rs. 5 crore (maximum Rs. 2.50 crore)	Rs. 2.50 Cr. + 3.75 % of additional fixed capital investment above Rs. 10 crore (maximum Rs. 4 crore)
Category -B	40% of fixed capital investment (Maximum Rs.40 lakh)	Rs. 40 lakh + 20% of additional fixed capital investment above Rs. 1 crore (maximum Rs. 1.20 crore)	Rs. 1.20 Cr. + 16% of additional fixed capital investment above Rs. 5 crore (maximum Rs. 2 crore)	Rs. 2 Cr. + 2.50% of additional fixed capital investment above Rs. 10 crore (maximum Rs. 3 crore)
Category -C	30% of fixed capital investment (Maximum Rs.30 lakh)	Rs. 30 Lakh + 12.5 % of additional fixed capital investment above Rs. 1 crore (maximum Rs. 80 Lakh)	Rs. 80 Lakh + 8% of additional fixed capital investment above Rs. 5 crore (maximum Rs. 1.20 crore)	Rs. 1.20 Cr. + 2% of additional fixed capital investment above Rs. 10 crore (maximum Rs. 2

				crore)
Category -D	20% of fixed capital investment (Maximum Rs.20 lakh)	Rs. 20 Lakh + 10% of additional fixed capital investment above Rs. 1 crore (maximum Rs. 60 Lakh)	Rs. 60 Lakh + 6% of additional fixed capital investment above Rs. 5 crore (maximum Rs. 90 Lakh)	Rs. 90 Lakh + 1.50% of additional fixed capital investment above Rs. 10 crore (maximum Rs. 1.50 Cr.)

8.3.1 Under this policy, 5 percent extra Capital Investment subsidy (maximum, Micro enterprises - Rs. 5 lakhs, Small enterprises - Rs. 10 lakhs and Medium enterprises - Rs. 15 lakhs) on the establishment of new manufacturing enterprises in the state identified as **"Priority Category"**, will be payable.

8.3.2 Under this policy, 10 percent extra Capital Investment subsidy (maximum, micro enterprises - Rs. 10 lakhs, small enterprises - Rs. 15 lakhs and medium enterprises - Rs. 20 lakh) on the establishment of new manufacturing enterprises marked as **"Most-Priority category"** in the district / region of category-A or B and 5 percent extra Capital Investment subsidy (maximum, Micro enterprises - Rs. 5 lakhs, Small enterprises - Rs. 10 lakhs and Medium enterprises - Rs. 15 lakhs) on establishment in district / region of category-C and D, will be payable.

8.3.3 Under this policy, on establishment of new Anchor unit having minimum 7 Ancillary units in the state, the anchor unit and all the new subsidiary units (if they are included in the identified enterprise category) will be given 5 percent extra Capital Investment subsidy (maximum, Micro Enterprises - Rs 5 lakh, Small Enterprises - Rs 10 lakh and Medium Enterprises - Rs 15 lakh), will be payable.

8.3.4 Under this policy, units owned by Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Women/Divyang, to be established in the state, will get 5 percent extra Capital Investment subsidy (maximum, micro enterprises - Rs. 5 lakhs, small enterprises - Rs. 10 lakhs and medium enterprises - Rs. 15 lakhs), will be payable.

8.3.5 Out of the special category mentioned under this policy, only one category can be availed by any enterprise.

8.3.6 For calculation of capital subsidy assistance, the total capital investment in workshop building and plant & machinery will be taken into account for fixed capital investment, but the eligibility category (micro, small and medium) of the unit will be determined only by the total fixed capital investment made in the plant and machinery. Investment made in "land and land development" in the

form of fixed capital investment will not be taken into account for capital investment subsidy.

8.3.7 Such micro enterprises in the manufacturing sector, which can be benefited under the Prime Minister's Employment Generation Program (PMEGP), PMFME (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) or Mukhaymantri Swarojgar Yojana (MSY), will be given the benefit of these schemes first. If these units are also involved in the permissible activities of MSME Policy-2023, then the margin money (grant) allowed on the bank loan sanctioned/disbursed for the workshop building, plant and machinery/equipment item of the project approved by the banks, will be deducted from the total admissible Capital Investment Subsidy under MSME Policy-2023 and the remaining amount will be given as top-up assistance.

8.3.8 If any new policy is issued by the Government of India for the Industries to be established in the state, then the financial incentives allowed in the said policy will be adjusted from the financial incentives payable in the MSME Policy-2023.

8.3.9 **Disbursement of capital subsidy assistance** -

Micro Enterprises - After the date of commencement of commercial production, in the next 2 years, in 2 equal installments.

Small and Medium Enterprises - After the date of commencement of commercial production, in the next 5 years, in 5 equal installments.

8.4 **Interest Subsidy Reimbursement** - New Micro, Small and Medium enterprises of identified category to be established in the state, having Term Loan for financing fixed capital investment in workshop building and plant & machinery/equipment from the Notified Commercial Bank, Financial Institution, State Government Co-operative Bank, Regional Rural Bank or Government of India / State Government recognized financial institution, the following rate of interest assistance reimbursement will be payable for a maximum of 3 years-

District / Area Category	Interest Rate Subsidy Reimbursement Amount/Limit		
	Mirco	Small	Medium
A	4 % (Maximum Rs. 5 Lakh, Per year, per Unit)	3 % (Maximum Rs. 6 Lakh, Per year, per Unit)	2 % (Maximum Rs. 7 Lakh, Per year, per Unit)
B	4 % (Maximum Rs. 4 Lakh, Per year, per Unit)	3 % (Maximum Rs. 5 Lakh, Per year, per Unit)	2 % (Maximum Rs. 6 Lakh, Per year, per Unit)
C	4 % (Maximum Rs. 3 Lakh, Per year, per Unit)	3 % (Maximum Rs. 4 Lakh, Per year, per Unit)	2 % (Maximum Rs. 5 Lakh, Per year, per Unit)
D	4 % (Maximum Rs. 2 Lakh, Per	3 % (Maximum Rs. 3 Lakh, Per	2 % (Maximum Rs. 4 Lakh, Per

	year, per Unit)	year, per Unit)	year, per Unit)

8.5 **Exemption on electricity duty** - New enterprises of the identified category to be established in the state, in which the sanctioned electricity load is upto 500 KW, will be exempted from electricity duty for 5 years.

8.6 **Quality Certification Incentive Assistance Reimbursement** - New Micro, Small and Medium enterprises of identified category to be established in the state , obtaining National / International Quality Certificates (ISO / ISI / BIS / Patent / Quality Marking/ /Trade Mark /Copyright /FSSAI /Pollution Control /ZED-Zero Effect Zero Defect etc)) will be reimbursed 75% of the actual expenditure incurred by the unit, subject to a maximum of Rs. 1 lakh per unit.

8.7 **Mandy Fee Reimbursement** - Reimbursement of the Mandy fee charged for purchase of raw material from the mandi located within the geographical limits of the state, for a maximum period of 5 years, for agriculture and horticulture based new food processing enterprises to be established in districts/areas of Category-A and B. Payable as follows-

Category of District/Aea	Amount of Market Fee Reimbursement
Category- A	50 Percent (Maximum 5 Lakh, Per unit/Per Year)
Category-B	50 Percent (Maximum 3 Lakh, Per unit/Per Year)

9. **Quality and Standard Promotion**

9.1 Keeping in view the continuous rapid development in the field of technology and the advanced standards being adopted globally towards environmental and technical standards, the investment to be made on the basic infrastructure related to technical upgradation and testing will increase the competitive ability of Micro, Small and Medium enterprises. Therefore, industries will be encouraged to adopt waste management systems, pollution control facilities and standards, quality development and achieve production efficiency by adopting Industry 4.0 technology.

9.2 To spread the benefits of advanced technoiogy to micro, small and medium industries, publicity will be done through seminars, so that the benefits of advanced technology can be applied in various fields such as product quality improvement, environmental improvement, energy-efficiency, quality-packaging, testing- facilities and computerized quality-control etc.

9.3 **Award to ZED certified micro, small and medium enterprises:** There is a system of certification in three categories Gold, Silver and Bronze under the Z scheme. The micro, small and medium enterprises that get certification in Gold, Silver and Bronze category will be awarded memento, excellence certificate and the following amount as prize-

ZED Certificate Category	Prize Money
Category of Gold	Rs. 75,000 Per Unit

Category of Silver	Rs. 50,000 Per Unit
Category of Bronze	Rs. 25,000 Per Unit

During the plan period, one unit can avail the benefit of the award under one category only.

10. Entrepreneurship and skill development promotion

10.1 Entrepreneurship will be encouraged by organizing entrepreneurship development programs in all districts of the state so that youths can be established as job creators instead of job seekers by encouraging them to set up enterprises.

10.2 For imparting training to artisans and young entrepreneurs on modern techniques in manufacturing, design, packaging and marketing, collaboration with reputed Government/Non-Government organizations/institutions and large industrial establishments working in these areas will be taken.

11. Marketing Promotion

11.1 There is a need to ensure the marketability of the products manufactured in the state according to the demand in the national and international markets. The state government will take suitable steps to fill the gap in this sector. Marketing will be encouraged by the Uttarakhand Handloom and Handicrafts Development Council (UHHDC) by taking the help of commercial e-commerce portals, so that traditional artisans can be linked to the regional and national market.

11.2 The Uttarakhand Handloom and Handicrafts Development Council will be strengthened in such a way that it can encourage participation of artisans and entrepreneurs by organizing exhibitions and buyer-seller meets at national, international and regional levels.

11.3 Micro, Small and Medium Enterprises will be encouraged to get onboard the GEM portal.

11.4 Micro and small enterprises of the state will be given preference in government procurement of materials/services at the time of tender.

12. Procedure for acceptance of financial incentives

12.1 Online application can be made for all financial incentive assistance and rewards related to this policy, whose status will be displayed online to the applicant. For this, necessary changes will be made in the related website by the Directorate of Industries.

12.2 To get benefits under the policy, the units will have to apply online on the prescribed portal. After examining the application received by the General Manager, District Industries Center of the concerned district, it will be forwarded to the Directorate of Industries along with its recommendation.

12.3 The state level Empowered committee constituted as follows will be responsible for the selection for the acceptance and award of financial incentive assistance on the applications received under the policy-

1. Director General and Commissioner - Chairman

Industries, Uttarakhand .

2. Head of Department, State Tax Department / Energy / UREDA / Labor / Forest and Environment / Information Technology / Ayush / Agriculture / Horticulture / Public Works Department or the officer nominated by him who is of the level of Additional Head of Department. - Member
3. Finance Controller, Directorate of Industries, Uttarakhand. - Member
4. State Level Bankers' Committee Convener. - Member
5. Director Industries, Directorate of Industries, Uttarakhand . - Member Secretary

According to the requirement,Commissioner and Director General Industries, may invite other expert departments in the meeting of the committee.

12.4 At the district level, the District Empowered Committee will be constituted under the chairmanship of the District Magistrate of the concerned district as follows-

1. District Magistrate - Chairman
2. Chief Development Officer - Member
3. Chief/Senior Treasury Officer - Member
4. Lead Bank Manager - Member
5. General Manager, District Industry Center - Convener Member

District level officers of other departments can be invited by the District Magistrate in the meeting of the committee as per the requirement. This committee will be able to take a decision considering the applications received for the financial incentives provided in the policy, if such power is delegated. This committee will also be responsible for necessary departmental coordination and review at the district level for the progress of the scheme.

12.5 A high level committee will be constituted under the chairmanship of Principal Secretary/Secretary, MSME, Government of Uttarakhand as follows-

1. Principal Secretary/Secretary, M.S.M.E. - Chairman
2. Secretary/Additional Secretary, Finance/ Energy/UREDA/Labour/Forest & Environment/ Information Technology/Ayush/Agriculture/ Horticulture/Public Works Department - Member
3. Director General/Commissioner Industries - Convener Member

Principal Secretary/Secretary M.S.M.E. may invite, as per the

requirement, other expert departments in the meeting of the committee. The responsibility of this committee will be to review the progress of the policy and inter-departmental coordination. The cases referred by the Commissioner and Director General Industries will be presented before this committee and their disposal will be ensured.

13. General Provisions/ Guiding Principles

13.1 These general provisions/guiding principles will be applicable to all micro, small and medium enterprises eligible under this policy.

13.2 This policy will come into force from 01 August, 2023 and will be effective for five years.

13.3 All the benefits provided under this policy will be payable to all the eligible enterprises coming into production from 01 August, 2023, till the period the policy is in force, within the prescribed limits as per the permissible period.

13.4 The right to make any change in this policy will be vested in the Government of Uttarakhand. In case of any change in the policy, the units already receiving benefits under the policy will continue to receive the said benefits. The Director General / Commissioner Industries will have the right to issue clarification on the points of the policy.

13.5 Uttarakhand government will have the right to modify the list of Permissible activities, Prohibited Activities, Priority category enterprises and Most-priority category enterprises in this policy.

13.6 Potential entrepreneurs/investors will be encouraged to avail term loan facility from Scheduled Commercial Banks/Financial Institutions approved by Reserve Bank of India/SEBI for setting up enterprise and availing financial incentives on capital investment made in the enterprise.

13.7 The unit applying for financial incentives shall submit a detailed project report along with the application form and along with the approved bank appraisal report from scheduled commercial banks or such financial institutions/banks approved by RBI/SEBI from whom the term loan has been granted. The appraisal report prepared by the bank/financial institution will form the basis for appraising the project cost for calculation of incentives.

13.8 For the purpose of calculation of incentives under this policy, the approved project cost shall mean the project cost finally approved by the institution/authority or person empaneled by the financing bank/financial institution/department and the project cost shall be the basis for determination of incentives.

13.9 All the financial incentives mentioned under this policy will be provided post-production i.e. after the date of commencement of commercial production/operation, on submission of claim by the unit.

13.10 Under this policy, it will be mandatory to submit Capital Investment Subsidy claim completely on the prescribed portal within one year from the date of commencement of production. Incomplete, imprecise and unclear claim will not be accepted.

13.11 Various policies like Mega Industrial and Investment Policy, Startup Policy, One District Two Product Policy, Tourism Policy, Information Technology Policy, Aroma Park Policy, Biotechnology Policy etc. are effective in the state. Under the said policies, the benefit of financial incentives in the same item/component will be allowed from only one source, so that there is no duplication of the same type of benefit.

13.12 In case of change in the ownership or management of a unit, it will be necessary for the unit to obtain its permission from the department, so that in case of change in the ownership or management of the unit, the benefits of incentives available to the existing unit continue to be available for the remaining permissible period. The eligibility period and the amount/limit of financial incentive will not be increased under any circumstances.

13.13 It will be necessary for the unit receiving benefits under the policy to remain working for a minimum period of 5 years. If the unit remains closed for a maximum period of 6 months due to natural calamity, it will not be considered as closed. If any unit having the incentive under this policy is found to be closed for more than 6 months in the middle of 5 years from the date of production, then the recovery of all the financial incentives provided under the policy, along with 18 percent interest from the unit, can be done on par with land revenue. Taking cognizance of disaster or other unavoidable circumstances, the decision of recovery can be taken by the state empowered committee constituted under this policy. Dissatisfied with this decision, an appeal can be made by the party to the committee headed by Principal Secretary/Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Uttarakhand, whose decision will be final.

13.14 In case of change of shareholder/ownership of the unit, owned by SC/ST/Women/Divyangjan within 5 years from the date of commencement of commercial production, the new shareholder/ owner should belong to the same category. If the new shareholder/owner is not from the same category, then the entire amount of incentive given to such units will be recovered with the rate of 18 percent annual interest from the date of receiving the incentive.

13.15 Splitting up or reconstitution of an already existing enterprise or transfer of plant and machinery previously used for any other purpose to a new unit or unit shifted from elsewhere shall not be eligible for financial incentives under the policy.

13.16 The Micro, Small and Medium Enterprises Department will be the nodal department for the implementation and monitoring of this policy.

13.17 Industries in the Prohibited/Restricted list will not be eligible for any incentive under this policy.

13.18 For admissibility of financial incentives under this policy, it will be necessary for the eligible enterprise to provide **minimum 70 percent permanent employment** to the permanent residents of the state in its enterprise.

Prohibited List: Annexure-1 (A)	
i.	All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Act, 1985 (5 of 1986) relating to tobacco and manufactured tobacco products.
ii.	Pan Masala falling under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Act, 1985 (5 of 1986).
iii.	Uttarakhand Government, Environment Protection and Climate Change Section's notification No. 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 dated 16.02.2021 and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's notification dated 12th August, 2021, banned by July 01, 2022 Single use plastic products, polythene less than 120 micron thickness, recycling of polythene and plastic.
iv.	Brick Making (Brick Bhatta) Units.
v.	Saw Mill.
vi.	Manufacturing of firecrackers.
vii.	Mining and stone crusher units (except Soapstone, Silica processing and its by-products).
viii.	Thermal Power Plant.
ix.	Steel and Steel Ingot manufacturing.
x.	All units using the furnace.
xi.	All products included in the list of prohibited category from time to time by the Central / State Government.
xii.	Units not complying with environmental standards or not obtaining requisite consent for establishment and operation from the Ministry of Forest, Environment and Climate Change, Government of India or the State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) or the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board.
xiii.	Low value addition activities like preservation, cleaning, handling, packing, re-packing or re-labelling, sorting, variation in retail selling price etc. during storage and wholesale and retail trade.
xiv.	All activities of service sector including tourism.
Manufacturing Enterprises of the Priority Category: Annexure- 1(B)	
1.	Enterprises based on natural fiber and minor forest produce.
2.	Identified product manufacturing enterprise under 'One District Two Product' scheme.
3.	Manufacturing enterprises of the state's 'GI Tag' products.
4.	Startups in the manufacturing sector.
5.	Products covered under Bio-technology and Nano technology.
6.	Enterprises manufacturing alternative products of single use plastic.
Manufacturing Enterprises of the Most-Priority Category: Annexure- 1(C)	
1.	Food Processing Enterprises.
2.	Fruit and Vegetable Processing Enterprises.
3.	Fruit based winery.
4.	Briquettes/Pellets manufacturing enterprise from Pirul.
5.	Manufacturing enterprise based on medicinal herbs and aromatic plants.

By Order,

VINAY SHANKAR PANDEY,

Secretary.

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / पदोन्नति

28 नवम्बर, 2023 ई0

संख्या 171163 / 2023 / 01(100) / XXVII(8)/2002–उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 के संगत प्राविधानों के अधीन, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत राज्य कर अधिकारी के पद से सहायक आयुक्त, राज्य कर के रिक्त पदों के सापेक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक 101 / 03 / ई–1 / डी0पी0सी0 / 2023–24, दिनांक 13.09.2023 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्न कार्मिक को सहायक आयुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल '10' ₹ 56100–177500 (पूर्व वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

02– चयन वर्ष 2022–23

क्र0सं0	ज्ये0क्र0	पात्र कार्मिक का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	146	श्री चन्दन सिंह बोरा	–

03– उक्त पदोन्नति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–251 / 2021(एस0 / बी0) सुशील चन्द्र नौडियाल बनाम् राज्य एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Special Leave Petition (c) No. 28756-28758 of K.S. Negi & Anr. Versus State of Uttarakhand & Ors. Etc. में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

04– उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पदोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे।

05– संबंधित पदोन्नत अधिकारी की नियमित तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

सू0 प्रौ0, सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0–03

अधिसूचना

25 मई, 2023 ई0

संख्याः I/124714/E-17505/2023/XXXIV(3)/-20(02)21–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता हैः–

1. ऊर्जा विभागः–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
i)	नये एल0टी0 संयोजन निर्गत करना					
1	जहाँ नये एल0टी0 संयोजन को प्रदान करने हेतु मौजूदा नेटवर्क में कोई विस्तार की आवश्यकता न हो।	उपखण्ड अधिकारी	15 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
2	जहाँ नये एल0टी0 संयोजन को प्रदान करने हेतु वितरण मैंस को विस्तार करने की आवश्यकता हो	उपखण्ड अधिकारी	60 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
3	जहाँ नये एल0टी0 संयोजन को प्रदान करने हेतु नये 11/0.4 के0वी0 उपस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता है।	उपखण्ड अधिकारी	90 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
4	जहाँ नये एल0टी0 संयोजन को प्रदान करने हेतु नये 33/11 के0वी0 उपस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता हो	उपखण्ड अधिकारी	180 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
ii)	नये एच0टी0/ई0एच0टी0 संयोजन निर्गत करना					
क	जहाँ संयोजन हेतु नये उपस्थान/'बे' की स्थापना की आवश्यकता न हो					
5	जहाँ संयोजन 11 के0वी0 विभव पर गैर स्वतन्त्र पोषक से निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो	उपखण्ड अधिकारी	60 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
6	जहाँ संयोजन 11 के0वी0 विभव पर स्वतन्त्र पोषक से निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो	उपखण्ड अधिकारी	90 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
7	जहाँ संयोजन 33 के0वी0 विभव पर निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो	उपखण्ड अधिकारी	180 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
8	जहाँ संयोजन 132 के0वी0 व उससे अधिक विभव पर निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो	उपखण्ड अधिकारी	300 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

ख	जहाँ संयोजन हेतु नये उपस्थान/'बे' की स्थापना की आवश्यकता हो					
9	जहाँ संयोजन हेतु नये 33/11 के0वी0 उपस्थान के स्थापना की आवश्यकता हो	उपखण्ड अधिकारी	180+180 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
10	जहाँ संयोजन हेतु 33/11 के0वी0 उपस्थान की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता हो	उपखण्ड अधिकारी	120+180 दिनों के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
11	जहाँ संयोजन हेतु 33/11 के0वी0 उपस्थान पर "बे" के विस्तारीकरण की आवश्यकता हो	उपखण्ड अधिकारी	45+180 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
12	जहाँ संयोजन हेतु नये 132 के0वी0 व उससे अधिक विभव के उपस्थान के स्थापना की आवश्यकता हो	उपखण्ड अधिकारी	540+300 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
13	जहाँ संयोजन हेतु 132 के0वी0 व उससे अधिक विभव के उपस्थान पर "बे" के विस्तारीकरण की आवश्यकता हो	उपखण्ड अधिकारी	90+300 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
iii)	विद्युत भार में वृद्धि/घटाना					
14	एल0टी0 संयोजन हेतु जहाँ लाईनों/उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो	उपखण्ड अधिकारी	15 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
15	एच0टी0/ई0एच0टी0 संयोजन हेतु जहाँ लाईनों/उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो	उपखण्ड अधिकारी	30 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
16	जहाँ लाईनों/उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो।	उपखण्ड अधिकारी	बिन्दु सं0 i) व ii) के अनुसार	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
iv)	विद्युत आपूर्ति को बहाल करना					
17	फ्यूज का उड़ना या एम0सी0बी0/एम0सी0सी0बी0 ट्रिप होने पर विद्युत आपूर्ति बहाली की निर्धारित समय सीमा (जहाँ फ्यूज या एम0सी0बी0/एम0सी0बी0 विभाग की है)	उपखण्ड अधिकारी	नगरीय क्षेत्र के लिये–4 घंटों के भीतर, ग्रामीण क्षेत्र के लिये–8 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 12 घंटों के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
18	सर्विस लाईन का टूटना या सर्विस लाईन का खंभे से निकल/टूट जाना।	उपखण्ड अधिकारी	नगरीय क्षेत्र के लिये–6 घंटों के भीतर ग्रामीण क्षेत्र के लिये–12 घंटों के भीतर पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 24 घंटों के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
19	एल0टी0 वितरण लाईन/प्रणाली में दोष	उपखण्ड अधिकारी	दोष का सुधार व उसके पश्चात् सामान्य ऊर्जा आपूर्ति की बहाली नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटों के भीतर पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिए 24 घंटों के भीतर जहाँ कहीं साध्य	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

			हो, वैकल्पिक स्रोत से 4 घंटों के भीतर अस्थायी आपूर्ति बहाल की जायेगी।			
20	वितरण परिवर्तक का विफल होना/जलना	उपखण्ड अधिकारी	विफल परिवर्तक का बदलना मैदानी क्षेत्रों के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पाहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े हैं के लिये 48 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 72 घंटों के भीतर जहाँ कहीं साध्य हो, चलते फिरते परिवर्तक या अन्य सहायता स्रोत के माध्यम से 8 घंटों के भीतर अस्थायी बहाली।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
21	एच0टी0 (11 के0वी0 व 33 के0वी0) मेन्स का विफल होना फ्यूज का उड़ना, सर्विस लाईन का टूटना या कोई अन्य दोष।	उपखण्ड अधिकारी	नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 36 घंटों के भीतर (फ्यूज उड़ने की स्थिति में 24 घंटे) जहाँ कहीं साध्य हो, 4 घंटों के भीतर अस्थायी ऊर्जा की अस्थायी बहाली।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
22	33/11 के0वी0 उपस्थान में समस्या	उपखण्ड अधिकारी	मरम्मत व आपूर्ति की बहाली। मैदानी क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घंटों के भीतर जहाँ कहीं साध्य हो, 6 घंटों के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति बहाली। वैकल्पिक स्रोत को ओवर लोडिंग से बचाने के लिये रोस्टर विद्युत कटौती की जा सकती है।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
23	पॉवर परिवर्तक की विफलता	उपखण्ड अधिकारी	10 दिवस के भीतर जहाँ कहीं साध्य हो 6 घंटों के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की बहाली। वैकल्पिक स्रोत को ओवर लोडिंग से बचाने के लिये रोस्टर विद्युत कटौती की जा सकती है।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
v)	मीटर सम्बन्धी शिकायत					
24	मीटर की परिशुद्धता परीक्षण के लिये की गयी शिकायत	उपखण्ड अधिकारी	शिकायत प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर मीटर का परीक्षण। तदोपरान्त आवश्यकता पड़ने पर मीटर को 15 दिवस के भीतर बदला जायेगा।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
vi)	उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण व सेवा का परिवर्तन					
25	संपत्ति पर स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	उपखण्ड अधिकारी	आवेदन स्वीकृत होने के उपरान्त 2 माह के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
26	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को हस्तान्तरण	उपखण्ड अधिकारी	आवेदन स्वीकृत होने के उपरान्त 2 माह के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

27	श्रेणी में परिवर्तन	(उपखण्ड अधिकारी)	परिसर का निरीक्षण–5 दिवस के भीतर श्रेणी में परिवर्तन–2 माह के भीतर	(अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
vii)	बिलों से सम्बन्धित शिकायत					
28	बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत	उपखण्ड अधिकारी	शिकायत प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर–जहाँ कोई अतिरिक्त सूचना वांछनीय न हो। शिकायत प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर–जहाँ अतिरिक्त सूचना वांछनीय हो।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
29	परिसर खाली करने / दखल के परिवर्तन पर अन्तिम बिल जारी करना।	उपखण्ड अधिकारी	परिसर खाली करने / कब्जे में परिवर्तन से पूर्व उपभोक्ता द्वारा कम से कम 7 दिवस पहले उपभोक्ता एक विशेष रीडिंग हेतु अनुज्ञप्तिधारी से निवेदन करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी परिसर खाली किये जाने या कब्जे में परिवर्तन से कम से कम 3 दिवस पहले, यदि कुछ पिछला बकाया है तो बकाया सहित अन्तिम बिल उपभोक्ता को प्रेषित करने की व्यवस्था करेगा।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
30	उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थाई विच्छेदन के उपरान्त बिलिंग	उपखण्ड अधिकारी	स्थाई विच्छेदन के उपरान्त कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। स्थाई विच्छेदन के उपरान्त भी बिल प्रस्तुत किये जाने की दशा में क्षतिपूर्ति देय होगी।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
viii)	विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन / पुनः जोड़ने से सम्बन्धित प्रकरण					
31	पुनः संयोजन चाहने वाले उपभोक्ता	उपखण्ड अधिकारी	पुराने बकाया एवं पुनः संयोजन निर्गत करने का शुल्क जमा करने पर 5 दिवस के भीतर (स्थाई विच्छेदन से पूर्व):–जहाँ छः माह की अवधि के भीतर उपभोक्ता द्वारा पुनः संयोजन हेतु अनुरोध किया गया हो। यदि छः माह के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा पुनः संयोजन हेतु अनुरोध किया जाता है की दशा में नये संयोजन हेतु निर्धारित पूर्ण प्रक्रिया के अनुसार विद्युत संयोजन निर्गत किया जायेगा, जिसमें उपभोक्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान, सर्विस लाईन चार्जेज, प्रतिभूति धनराशि आदि (जो भी लागू हो) का भुगतान सम्बन्धित टैरिफ श्रेणी के अनुरूप किया जायेगा।	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
32	विच्छेदन चाहने वाले उपभोक्ता	उपखण्ड अधिकारी	स्थाई विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

33	विद्युत दुर्घटना पर भुगतान किये जाने पर निर्णय	उपखण्ड अधिकारी	घातक मानव विद्युत दुर्घटनाः— उ0पा0का0लि0 के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में उपखण्ड अधिकारी/सहायक अभियन्ता की आख्या एवं एफ0आई0आर0 दर्ज होने के 48 घण्टें के अन्दर अन्तरिम सहायता के रूप में रू0 80,000/— का भुगतान किया जायेगा। शेष धनराशि (रू0 3,20,000/—) का भुगतान निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस में किया जायेगा। अघातक मानव विद्युत दुर्घटनाः— उ0पा0का0लि0 के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यक्ति की अघातक विद्युत दुर्घटना की दशा में निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस में। पशुधन की घातक दुर्घटनाः— निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस में	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
34	Period of schedule outage a. Maximum duration in a single stretch b. Restoration supply	उपखण्ड अधिकारी	Not to exceed 8 hours in day by 6.PM. on any day	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
35	Consumer wanting latest bill	उपखण्ड अधिकारी	Immediately through UPCL Web site (www.upcl.org)	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
36	कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलनों का प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति	उपखण्ड अधिकारी	45 दिवस (88 के0वी0ए0 से अधिक 30 दिवस) (88 के0वी0ए0तक)	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
37	बहु उपभोक्ता संकुल (मल्टी यूजर कॉम्प्लेक्स) के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलन की स्वीकृति	उपखण्ड अधिकारी	45 दिवस (88 के0वी0ए0 से अधिक 30 दिवस) (88 के0वी0ए0तक)	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
38	विद्युत अधिसंरचना सम्बन्धी प्राक्कलनों की स्वीकृति	उपखण्ड अधिकारी	30 दिवस	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
39	सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति	उपखण्ड अधिकारी	30 दिवस	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—

(ङ)	विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित					
40	विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापनों की ड्राईंग का अनुमोदन	उप विद्युत निरीक्षक	15 दिवस	मुख्य विद्युत निरीक्षक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन/ ऑफलाईन
41	विनियम 43 के अन्तर्गत 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता के विद्युतीय अधिष्ठापनों को ऊर्जित करने से पूर्व मुख्य विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन	उप विद्युत निरीक्षक	15 दिवस	मुख्य विद्युत निरीक्षक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन/ ऑफलाईन
42	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 54 एवं विनियम 32 के अन्तर्गत जैनेरेटिंग सेट का निरीक्षण एवं अनुमोदन	सहायक विद्युत निरीक्षक	30 दिवस	उप विद्युत निरीक्षक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन/ ऑफलाईन
43	विद्युत विनियम 2003 की धारा 54 के अन्तर्गत अस्थाई विद्युत अधिष्ठापनों का निरीक्षण, परीक्षण एवं अनुमोदन	सहायक विद्युत निरीक्षक/ अपर सहायक विद्युत अभियन्ता/ विद्युत अवर अभियन्ता	7 दिवस	उप विद्युत निरीक्षक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन/ ऑफलाईन

2. समाज कल्याण:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
			स्तरवार समय	कुल समय			
1	अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	प्राचार्य/ प्रधानाचार्य	04 माह	10 माह	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला समाज कल्याण अधिकारी	06 माह				
2	अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु पूर्व दशम् छात्रवृत्ति योजना	प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य	04 माह	10 माह	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला समाज कल्याण अधिकारी	06 माह				
3	अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की छात्रवृत्ति योजना	प्रधानाध्यापक/ हेडमास्टर	04 माह	10 माह	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला समाज कल्याण अधिकारी	06 माह				
4	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	30 दिवस	12 माह अर्थात् 01 वर्ष। आवेदन स्वीकृति के पश्चात् भुगतान मार्च माह में	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला समाज कल्याण अधिकारी	(01 मार्च से 28/29 फरवरी तक)				

5	अटल आवास योजना	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।	सहायक विकास अधिकारी पंचायत	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		खण्ड विकास अधिकारी	ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिवस के भीतर निर्धारित भौतिक लक्ष्य के अनुसार स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।	जिला विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	
		जिला समाज कल्याण अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण जिलास्तरीय समिति से आवेदनों की स्वीकृति एवं लाभार्थियों को स्वीकृति की सूचना 45 दिवस के भीतर भेजी जायेगी।	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	
6	विधवा पुनर्विवाह	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।	सहायक विकास अधिकारी पंचायत	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		खण्ड विकास अधिकारी	ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।	जिला विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	
		जिला प्रोबेशन अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण, जिला स्तरीय समिति से आवेदनों की स्वीकृति एवं लाभार्थियों को स्वीकृति की सूचना 45 दिवस के भीतर भेजी जायेगी।	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	
7	राजकीय वृद्ध अशक्त गृहों का संचालन	जिला समाज कल्याण अधिकारी	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृहों में वृद्धजनों द्वारा आवेदन करने पर 7 दिवस के अन्तर्गत तथा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संस्था में रखे जाने के आदेश पारित किये जाने पर तत्काल प्रवेश दिये जाने की सूचना प्रदान की जायेगी।	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

3. वन विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	Financial assistance to be sanctioned for human death by wildlife	सम्बन्धित निदेशक / डी0एफ0ओ0 / उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 30 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक / निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
2	Financial assistance to be sanctioned for disability caused by wildlife	सम्बन्धित निदेशक / डी0एफ0ओ0 / उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 30 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक / निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
3	Ex-gratia to be sanctioned in case of wound caused by the wild animal	सम्बन्धित निदेशक / डी0एफ0ओ0 / उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 30 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक / निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

4	Wildlife patrolling Death of staff in man animal conflict Permanent disability of staff in man animal conflict Wound of staff in man animal conflict	सम्बन्धित निदेशक/ डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 30 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
5	Compensation to be sanctioned for crop damage caused by wildlife	सम्बन्धित निदेशक/ डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 60 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एवं आसूचना)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
6	Compensation to be sanctioned for cattel kill caused by wildlife	सम्बन्धित निदेशक/ डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 30 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एवं आसूचना)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
7	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञापत्र प्रदान करना–भूमि स्वामी की काष्ठ हेतु	सम्बन्धित डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
8	Permission for photography in protected area during tourist season (circle level)	सम्बन्धित निदेशक/ डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एवं आसूचना)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
9	Permission for photogrnphy in protected area during tourist season (more than one circle)	सम्बन्धित निदेशक/ डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एवं आसूचना)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
10	Supply of plants from forest nurseries	सम्बन्धित डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
11	इमारती लकड़ी वाले पेड़ों को काटने की अनुमति	सम्बन्धित डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
12	विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण	सम्बन्धित निदेशक डी0एफ0ओ0/ उप निदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	सम्बन्धित वन संरक्षक/ निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
13	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना (शासकीय काष्ठागार हेतु)	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 07 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
14	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना (काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/ विनिर्माता हेतु)	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 07 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

15	खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 15 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
16	परिवहन बिलों का भुगतान	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 30 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
17	विक्रीत वन उपज का स्वीकृति आदेश	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 15 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
18	वनोपज विवर्तन हेतु कार्य आदेश	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 15 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
19	असफल बोलीदार की सत्यकार राशि की वापसी	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 07 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
20	कार्योपरान्त् जमानत राशि की वापसी	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 30 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
21	डिपो से वनोपज के परिवहन का अनुज्ञा पत्र जारी करना।	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 30 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
22	वनोपज ठेकेदारों की राजस्व वापसी	सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक	आवेदन प्राप्ति के उपरान्त् 30 दिवस में	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

4. उच्च शिक्षा:--

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदानिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	छात्र चरित्र प्रमाण पत्र	प्राचार्य	01 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	छात्र स्था0 प्र0 पत्र (टी0सी0)	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	छात्रों के लिए एन0एस0एस0 प्रमाण-पत्र वितरण	प्राचार्य	03 दिवस (वि.वि. से प्राप्त होने के उपरान्त)	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	कॉशन मनी की वापसी	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	दस्तावेजों का सत्यापन	प्राचार्य	02 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग)	प्राचार्य	07 (समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाईन/ सत्यापन हेतु पोर्टल खोलने के उपरान्त)	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
7	Bonafide certificate	प्राचार्य	02 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
8	Attestation of documents for bus pass	प्राचार्य	02 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
9	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	प्राचार्य	07 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

10	समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	प्राचार्य	15 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
11	पुस्तकों का प्रदाय	प्राचार्य	15 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
12	परिचय पत्र जारी करना	प्राचार्य	07 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
13	छात्रावास में प्रवेश	प्राचार्य	07 (प्रवेश पूर्ण होने पर)	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
14	पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
15	अदेय प्रमाण पत्र	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
16 (a)	(1) आकस्मिक अवकाश	प्राचार्य	01 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(2) अर्जित अवकाश	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(3) विशेष आकस्मिक अवकाश	प्राचार्य	01 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(4) असाधारण अवकाश (अग्रसारण)	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(5) मातृत्व अवकाश	प्राचार्य	07 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(6) पितृत्व अवकाश	प्राचार्य	07 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(7) बाल्य देखभाल अवकाश (45 दिवस)	प्राचार्य	07 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(8) चिकित्सावकाश	प्राचार्य	03 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
16 (b)	(1) आकस्मिक अवकाश	उप निदेशक	01 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(2) अर्जित अवकाश	उप निदेशक	03 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(3) विशेष आकस्मिक अवकाश	उप निदेशक	01 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(4) असाधारण अवकाश	उप निदेशक	07 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(5) मातृत्व अवकाश	उप निदेशक	07 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(6) पितृत्व अवकाश	उप निदेशक	07 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(7) बाल्य देखभाल अवकाश (45 दिवस से अधिक)	उप निदेशक	07 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(8) चिकित्सावकाश	उप निदेशक	03 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
16 (c)	(1) आकस्मिक अवकाश	निदेशक	01 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(2) अर्जित अवकाश	निदेशक	03 दिवस	उप सचिव	उत्त0 सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(3) विशेष आकस्मिक अवकाश	निदेशक	01 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(4) असाधारण अवकाश	निदेशक	07 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(5) मातृत्व अवकाश	निदेशक	07 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

	(6) पितृत्व अवकाश	निदेशक	07 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(7) बाल्य देखभाल अवकाश (विशेष परिस्थिति में अग्रसारण)	निदेशक	07 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	(8)चिकित्सावकाश	निदेशक	03 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
17	धारणाधिकार (समूह–क)	निदेशक	07 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	धारणाधिकार (समूह–ख,ग,घ) (महाविद्यालय / निदेशालय स्तर)	उप निदेशक	07 दिवस	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
18	प्रोन्नति (समूह–क)	निदेशक	10 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	प्रोन्नति (समूह–ख,ग,घ)	उप निदेशक	10 दिवस	संयुक्त निदेशक		ऑफलाईन
19	वैयक्तिक पदोन्नति (CAS-UGC) श्रेणी–क	निदेशक	आवेदन करने के उपरान्त 90 दिवस के भीतर	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	वैयक्तिक पदोन्नति श्रेणी–ख,ग,घ (निदेशालय स्तर)	उप निदेशक	आवेदन करने के 30 दिवस के भीतर	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
20	अनापत्ति (विदेश गमन)	निदेशक	05 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
21	अनापत्ति (शोध हेतु)	निदेशक	05 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
22	अनापत्ति (पासपोर्ट)	निदेशक	05 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
23	वेतन निर्धारण (क,ख,ग)	वित्त नियंत्रक	10 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	वेतन निर्धारण (घ) (महाविद्यालय स्तर)	प्राचार्य	10 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	वेतन निर्धारण (घ) (निदेशालय स्तर)	वित्त0 नियंत्रक	10 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
24	स्थायीकरण (समूह–क)	निदेशक	30 दिवस (परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर)	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	स्थायीकरण (समूह–ख,ग)	उप निदेशक	30 दिवस (परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर)	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	स्थायीकरण (समूह–घ)	प्राचार्य (महाविद्यालय स्तर)	30 दिवस (परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर)	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	स्थायीकरण (समूह–घ)	उप निदेशक (निदेशालय स्तर)	30 दिवस (परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर)	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
25	शिकायतों का निवारण (महाविद्यालय स्तर पर)	प्राचार्य	30 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	शिकायतों का निवारण (निदेशालय स्तर पर)	उप निदेशक	30 दिवस	निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
26	GPF (स्थाई / अस्थाई) श्रेणी–क	निदेशक	10 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	GPF (स्थाई / अस्थाई) श्रेणी–ख,ग	निदेशक	10 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	GPF (स्थाई / अस्थाई) श्रेणी–घ (महाविद्यालय स्तर)	प्राचार्य	10 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

	GPF (स्थाई/ अस्थाई) श्रेणी–घ (निदेशालय स्तर)	निदेशक	10 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
27	पेंशन/प्रोरेटा पेंशन, श्रेणी–क	निदेशक	15 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	पेंशन/प्रोरेटा पेंशन, श्रेणी–ख, ग	वित नियंत्रक	15 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	पेंशन /प्रोरेटा पेंशन, श्रेणी–घ (महाविद्यालय स्तर)	प्राचार्य	15 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	पेंशन /प्रोरेटा पेंशन, श्रेणी–घ (निदेशालय स्तर)	वित्त नियंत्रक	15 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
28	अधियाचन (श्रेणी–क,ख,ग)	निदेशक	30 दिवस	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
29	शासन से प्राप्त बजट को महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना	वित्त नियंत्रक	10 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
30	कॉर्पस फण्ड का रख रखाव	वित्त नियंत्रक	प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिवस के भीतर	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
31	चिकित्सा प्रतिपूर्ति/ प्रस्ताव	प्राचार्य/ कार्यालयाध्यक्ष	30 दिवस (बजट उपलब्ध होने की दशा में)	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
32	सेवा का संयोजन श्रेणी–क	निदेशक	15 दिवस के भीतर	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	सेवा का संयोजन श्रेणी–ख,ग,घ निदेशालय स्तर	निदेशक	15 दिवस के भीतर	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
33	वरिष्ठता सूची जारी करना श्रेणी–क	निदेशक	लो0से0आ0 से वरिष्ठता सूची प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	वरिष्ठता सूची जारी करना श्रेणी–ख,ग,	निदेशक	चयन आयोग से सूची प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर	उप सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
	वरिष्ठता सूची जारी करना श्रेणी–घ (मृत संवर्ग)	उप निदेशक	नियुक्ति के 30 दिवस के भीतर	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

5. शहरी विकास विभागः–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	सम्पत्ति कर संग्रह	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	02 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

2	नगर निकाय द्वारा ट्रेड लाईसेंस का नवीनीकरण	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
3	मृत पशुओं का निस्तारण	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	02 दिवस	नगर आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
4	आवारा पशुओं को पकड़ना	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	05 दिवस	नगर आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
5	Inspection carried out for (a) Granting road cutting permission sub category	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
	(b) Verification to ensure proper restoration	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
6	कानूनी वारिस आधार पर दुकानों/ व्यवसायिक सम्पत्ति के लाईसेन्स का अन्तरण	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	90 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

7	नये पेट्रोल स्टेशनों और पर्याप्तता के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करना	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
8	पालतू जानवरों को रखने का रजिस्ट्रेशन	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	07 दिवस	नगर आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
9	मोबाईल टॉवर हेतु अनापत्ति प्रदान करना	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
10	सैप्टिक टैंक की सफाई	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	07 दिवस	नगर आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
11	डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सेवा शुरू करवाना	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	07 दिवस	नगर आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
12	सी0 एण्ड डी वेस्ट उठाना	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	07 दिवस	नगर आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

13	Correction of Entry in Birth & Death Certificate	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	07 दिवस	नगर आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
14	Conveying the Assessment Regarding Property Tax	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	01 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
15	कुत्तों का वैक्सीनेशन एवं नसबन्दी	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	03 दिवस	नगर आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
16	नगरीय विकास सीमा के अन्तर्गत वृक्षों को काटना/गिराना हटाने की अनुमति	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	30 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
17	Issue of Health Trade Licence	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
18	Cinemetograph licence	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

19	Cinemetograph licence Renewal	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
20	वीडियो गेम पोर्टल के लिये लाईसेन्स/नवीनीकरण	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
21	डिस्कोथेक के लिये लाईसेन्स/नवीनीकरण	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
22	पार्क/टाउनहॉल/कम्यूनिटी सेंटर बुकिंग की प्रतिभूति लौटाना	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
23	Issuance of No Dues Certificate	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	07 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
24	Transfer of property in case of sale	नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके नामित अधिकारी	30 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत		जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत उप जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

8. गृह विभाग–

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	निजी सुरक्षा एजेंसी का सत्यापन	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
2	विस्फोटक निर्माण, भण्डारण, बिक्री, परिवहन की स्थापना के लिये एन0ओ0सी0	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
3	अग्निशमन उपस्थिति/ विशेष सेवा उपस्थिति प्रमाण–पत्र	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
4	संविदा के लिये चरित्र सत्यापन पर निर्णय	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
5	सड़क दुर्घटना/चोरी के लिये अन्तिम प्रपत्र हेतु आवेदन का निस्तारण	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
6	हथियार की खरीद अवधि का विस्तार (अनुमति समयावधि के साथ और यदि लाईसेंस जारी करने वाला जिला वही है, जहाँ सेवा चाही गयी है)	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
7	सड़क दुर्घटना के मामलों में अनावरित रिपोर्ट की प्रति	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
8	वाहन चोरी के मामलों में अनावरित रिपोर्ट की प्रति	प्रभारी थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
9	चोरी के मामलों में अनावरित रिपोर्ट की प्रति	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
10	साईबर कैफे पंजीकरण के मालिकों का पुष्टिकरण	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
11	शिकायत पर की गयी कार्यवाही की सूचना (FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट)/DDR (दैनिक डायरी रजिस्टर)/ मामला निक्षेपित	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
12	लाईसेंस धारक के अनुरोध पर शस्त्र लाईसेंस को रद्द करना	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
13	मृत्यु के मामलों में हथियार जमा करने की अनुमति	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
14	शस्त्र प्रतिधारक की नियुक्ति	प्रभारी थानाध्यक्ष	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
15	बोर का परिवर्तन	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन

16	मृत्यु के मामलों में हथियार की बिक्री/हस्तान्तरण की अनुमति	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
17	अस्थाई यात्रा लाईसेंस प्रदान किये जाने बावत आवेदन पत्र (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात्)	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
18	शस्त्र लाईसेंस में सेवक का नाम जोड़ना/हटाना	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
19	अतिरिक्त कारतूसों की अनुमति	प्रभारी/थानाध्यक्ष	10 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
20	हथियार के सेवक की नियुक्ति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद)	प्रभारी/थानाध्यक्ष	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
21	पेट्रोल, डीजल, नेप्था भण्डारण, बिक्री परिवहन की स्थापना के लिये एन0ओ0सी0	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	30 दिवस	क्षेत्राधिकारी/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन

7. बेसिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग:-

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0)	प्रधानाध्यापक	07 दिवस	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate Certificate)	प्रधानाध्यापक	20 दिवस	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन	उप शिक्षा अधिकारी	20 दिवस	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	वास्तविक/मूल प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate)	प्रधानाध्यापक	15 दिवस	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	प्लेग्रुप स्कूल की मान्यता (Recognition of Play School)	मुख्य शिक्षा अधिकारी	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा0शि0)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
6	R.T.E के अन्तर्गत पंजीकरण	मुख्य शिक्षा अधिकारी	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा0शि0)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
7	नवीन विद्यालय संचालित करने की अनुमति	मुख्य शिक्षा अधिकारी	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा0शि0)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
8	अशासकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता)	मुख्य शिक्षा अधिकारी	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा0शि0)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
9	अशासकीय जूनियर हाईस्कूल (कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता)	मुख्य शिक्षा अधिकारी	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा0शि0	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
10	चरित्र प्रमाण-पत्र	प्रधानाध्यापक	07 दिवस	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
11	प्रमाण-पत्रों में विशेष संशोधन जैसे (माता-पिता का नाम, जन्मतिथि आदि)	प्रधानाध्यापक	20 दिवस	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

6. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागः–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी		सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1.	उत्तराखण्ड में संचालित अटल आयुष्मान योजना एवं राज्य स्तर पर गोल्डन कार्ड जारी करना	प्र0चि0 अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक	जन सेवा केन्द्र (सरकारी चि0/VLE (2 दिवस)	7 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
			राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण/ ISA (5 दिवस)				
2.	प्रदेश में परिचालित निजी उपचार गृह/रूग्ण उपचार सम्बन्धी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण	सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी	05 दिवस	30 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		मुख्य चिकित्साधिकारी	25 दिवस				
3	Provisional Registration for clinical establishment under Clinical Establishment (Registration and Regulation Act 2010 and its Renewal)	सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी	04 दिवस (For Provisional)/ 10 दिवस (For Permanent)	10 दिवस (For Provisional)	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		मुख्य चिकित्साधिकारी	06 दिवस (For Provisional)/ 20 दिवस (For Permanent)	30 दिवस (For Permanent)			
4.	Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram (RSBK) Regular and Periodical check up of 30 diseases.	चिकित्सा अधीक्षक	आंगनवाडियों में 06 माह में 01 बार	आंगन वाडियां –06 माह	लोक सूचना अधिकारी एन0एच0एम 0	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
			सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष में 01 बार	सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों– 1 वर्ष			
5.	Rejection of Registration Certificate of Ultra Sound Centres	मुख्य चिकित्सा अधिकारी		90 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
6.	Cosmetic Manufacturing Licence	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी		21 दिवस	सचिव, चि0 कि0स्वा0 परिवार कल्याण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	
7.	Grant of Licence To Chemist	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी		21 दिवस	सचिव, चि0कि0स्वा0 परिवार कल्याण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
8.	Issue of Discharge Certificate	उपचार करने वाला चिकित्सक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	04 घण्टे के अन्दर	04 घण्टे के अन्दर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	–	–
		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	60 मिनट के अन्दर	तीमारदार के अनुरोध पर 60 मिनट (1 घण्टा) के भीतर			

9.	Male Sterilization Certificate	सम्बन्धित लिपिक / कर्मचारी	03 दिवस	नसबन्दी ऑपरेशन के उपरान्त	मुख्य चिकित्साधिकारी		–
		मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्साधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी	04 दिवस	शुक्राणु परीक्षण की रिपोर्ट के उपरान्त 7 दिवस			
10.	Female Sterilization Certificate	सम्बन्धित लिपिक / कर्मचारी	03 दिवस	07 दिवस	मुख्य चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्साधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी	04 दिवस				
11.	नसबन्दी करवाने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान	सम्बन्धित लिपिक / कर्मचारी	03 दिवस	डिस्चार्ज के समय से 07 दिवस के अन्तर्गत	मुख्य चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्साधीक्षक / मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज	04 दिवस				
12.	PCPNDT अधिनियम, 1994 के अधीन इकाइयों का पंजीकरण	सम्बन्धित लिपिक / कर्मचारी	30 दिवस	90 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		मुख्य चिकित्साधिकारी / अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	60 दिवस				
13.	PCPNDT अधिनियम, 1994 के अधीन इकाइयों का नवीनीकरण	सम्बन्धित लिपिक / कर्मचारी	30 दिवस	90 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		मुख्य चिकित्साधिकारी / अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	60 दिवस				
14.	मानव अंग प्रत्यारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	सम्बन्धित लिपिक / कर्मचारी	05 दिवस	45 दिवस	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		राज्य स्तरीय ऑथोराइजेशन कमेटी	40 दिवस				
15.	शल्य चिकित्सा परीक्षणों के उपरान्त पुष्टि के पश्चात् बन्ध्यीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना	सम्बन्धित लिपिक / कर्मचारी	01 दिवस	नसबन्दी के उपरान्त	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	07 दिवस	शुक्राणु परीक्षण की रिपोर्ट के उपरान्त 7 दिवस			

9. आबकारी विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
			स्तरवार समय	कुल समय			
1	Bar license to clubs/Restaurants/ Beer Bar	आबकारी निरीक्षक	07 दिवस	35 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	07 दिवस				
		जिलाधिकारी	10 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	11 दिवस				

2	Grant of Brewery License	आबकारी निरीक्षक	15 दिवस	90 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	15 दिवस				
		जिलाधिकारी	15 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	15 दिवस				
		शासन स्तर पर	30 दिवस				
3	Renewal of brewery license	आबकारी निरीक्षक	15 दिवस	60 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	15 दिवस				
		जिलाधिकारी	15 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	15 दिवस				
4	Grant of Distillery License	आबकारी निरीक्षक	15 दिवस	90 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	15 दिवस				
		जिलाधिकारी	15 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	15 दिवस				
		शासन स्तर पर	30 दिवस				
5	Renewal of Distillery License	आबकारी निरीक्षक	15 दिवस	60 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	15 दिवस				
		जिलाधिकारी	15 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	15 दिवस				
6	Grant of Bonded warehouse License	आबकारी निरीक्षक	05 दिवस	30 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	05 दिवस				
		जिलाधिकारी	10 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	10 दिवस				
7	Renewal of Bonded warehouse License	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	15 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	05 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	06 दिवस				
8	Grant of temporary bar license	आबकारी निरीक्षक	07 दिवस	35 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	07 दिवस				
		जिलाधिकारी	10 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	11 दिवस				
9	License to marriage Palaces/Banquet Halls/Banquet Halls/community Hall Etc for serving liquor	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	10 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	02 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	04 दिवस				
10	Permit for industrial Alcohol to chemical industries etc.	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	10 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	02 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	04 दिवस				
11	Annual License to Marriage Palaces	आबकारी निरीक्षक	03 दिवस	10 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	03 दिवस				
		जिलाधिकारी	04 दिवस				
12	Supply of Assessment Orders/Penalty Orders/Refund Orders	आबकारी निरीक्षक	05 दिवस	30 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	05 दिवस				
		जिलाधिकारी	10 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	10 दिवस				
13	Online Local Liquor Permits	आबकारी निरीक्षक	16 घण्टे	72 घण्टे	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	16 घण्टे				
		जिलाधिकारी	20 घण्टे				
		आबकारी आयुक्त	20 घण्टे				
14	Brand regisuation and label	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	10 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	02 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	04 दिवस				

15	Decision on the Export of Narcotic Medicine(for disense)	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	10 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	02 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	04 दिवस				
16	Decision on the issuance of Occasional Bar license	आबकारी निरीक्षक	01 दिवस	07 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	01 दिवस				
		जिलाधिकारी	02 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	03 दिवस				
17	Decision on the supply of Rectified Spirit to school/colleges	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	10 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	02 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	04 दिवस				
18	Export to other countries Both IMFL and Spirit	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	15 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	05 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	06 दिवस				
19	Local sale import from and Export to other states of the country A-IMFL B-Spirit	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	15 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	05 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	06 दिवस				
20	Retail Licenses(After deposition of License fee and security money) Both Renewal and New	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	15 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	05 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	06 दिवस				
21	Wholesale license(CL-2, FL-2 and FL-2B) A-Renewal B-New	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	15 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	05 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	06 दिवस				
22	Form 24-25(The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act)	आबकारी निरीक्षक	05 दिवस	30 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	05 दिवस				
		जिलाधिकारी	10 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	10 दिवस				
23	Grant of Passes of liquor	आबकारी निरीक्षक	16 घण्टे	72 घण्टे	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	16 घण्टे				
		जिलाधिकारी	20 घण्टे				
		आबकारी आयुक्त	20 घण्टे				
24	Grant of Permits of liquor	आबकारी निरीक्षक	16 घण्टे	72 घण्टे	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	16 घण्टे				
		जिलाधिकारी	20 घण्टे				
		आबकारी आयुक्त	20 घण्टे				
25	L-10 B License(Retail license of Imported foreign Liquor in shopping complex)	आबकारी निरीक्षक	05 दिवस	(In form of FL-5M/5DS) 30 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	05 दिवस				
		जिलाधिकारी	10 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	10 दिवस				
26	L-10 C License(License for Microbrewery)	आबकारी निरीक्षक	15 दिवस	(In form of MB-1 License) 60 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	15 दिवस				
		जिलाधिकारी	15 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	15 दिवस				
27	L-11 License (Bottling license for Indian Made Foreign Liquor)	आबकारी निरीक्षक	15 दिवस	(In form of FLM-2 License) 60 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	15 दिवस				
		जिलाधिकारी	15 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	15 दिवस				
28	L-17 License (License for denatured spirit vend)	आबकारी निरीक्षक	02 दिवस	(In form of FLM-2 License) 10 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		जिला आबकारी अधिकारी	02 दिवस				
		जिलाधिकारी	03 दिवस				
		आबकारी आयुक्त	03 दिवस				

29	L-1B-A (Wholesale for Ready to drink Beverages)	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त	05 दिवस 05 दिवस 10 दिवस 10 दिवस	(In form of BWFL-2b License) 30 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
30	L-9 License (canteen Store Department for retail sale)	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी	03 दिवस 03 दिवस 04 दिवस	(In form of FL-29/9A/2A License) 10 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
31	S-1 License (License for winery)	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त शासन स्तर	15 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 30 दिवस	(In form of V-1/V-20 License) 90 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
32	Issue of License for setting up of Distillers/ Breweries/ Bottling Plants	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त शासन स्तर	15 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 30 दिवस	(In form of PD-33, B-20 & FLM-2 License) 90 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
33	Issue of NOC for import of spirit	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त	02 दिवस 02 दिवस 05 दिवस 06 दिवस	15 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
34	To process the proposal for opening of IMFL"ON"shop	जिलाधिकारी	अनुज्ञापन प्राप्त होने पर तत्काल	अनुज्ञापन प्राप्त होने पर	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
35	To process the proposal for opening of IMFL"ON"shop after receipt of recommendation letter from district Excise Office	जिलाधिकारी	अनुज्ञापन प्राप्त होने पर तत्काल	अनुज्ञापन प्राप्त होने पर	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
36	औषध विनिर्माण के लिए एल–1 लाइसेंस	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त	05 दिवस 05 दिवस 10 दिवस 10 दिवस	(In form of FL-43 License) 30 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
37	Export and Transport of Country spirit	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त	02 दिवस 02 दिवस 05 दिवस 06 दिवस	15 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
38	Grant of License for reduction of ENA for manufacture of country spirit and deposit and storage of manufactured country spirit	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी आबकारी निरीक्षक शासन स्तर	15 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 30 दिवस	(In form of PD-2 License 90 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
39	Renewal of license for reduction of ENA for manufacture of country spirit and deposit and storage of manufactured country spirit	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी शासन स्तर	05 दिवस 05 दिवस 10 दिवस 10 दिवस	(In form of PD-2 License 30 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
40	Grant of license for Retail Vend of IMFL for consumption OFF the premises	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी शासन स्तर	10 दिवस 10 दिवस 10 दिवस 15 दिवस	45 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

41	Renewal of License for Retail Vend of IMFL for consumption OFF the premises	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी	05 दिवस 05 दिवस 05 दिवस	15 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
42	Renewal of Bar License	आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी	10 दिवस 10 दिवस 10 दिवस	30 दिवस	आबकारी आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

10. औद्योगिक विकास (खनन) विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	खनन अनुज्ञा पत्र (Mining Permit) की स्वीकृति (आर0बी0एम व साधारण मिट्टी आदि)	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	45 दिवस	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	खनन अनुज्ञा पत्र (Mining Permit) की स्वीकृति (ईंट मिट्टी)	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	45 दिवस	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	उप खनिज का खनन पट्टा का सीमाबन्धन (आर0बी0एम0 आदि हेतु)	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	30 दिवस	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	उप खनिज खनन पट्टा क्षेत्र के खनन योजना का अनुमोदन (आर0बी0एम0 आदि हेतु)	निदेशक	30 दिवस	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	उप खनिज खनन पट्टा विलेख का निष्पादन (आर0बी0एम0 आदि हेतु)	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	30 दिवस	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	गौण खनिज खनन पट्टा का सीमा बन्धन (सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड आदि हेतु)	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	30 दिवस	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
7	गौण खनिज खनन पट्टा क्षेत्र के खनन योजन का अनुमोदन (सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड आदि हेतु)	निदेशक	30 दिवस	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
8	मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा की स्वीकृति	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	45 दिवस	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

11. औद्योगिक विकास विभाग:–

(क) राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल):–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	निरस्त भूखण्डों के आवंटन की बहाली।	क्षेत्रीय प्रबन्धक	30 दिवस	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
2	उत्पाद परिवर्तन अनुमति के लिये आवेदन।	क्षेत्रीय प्रबन्धक	Real time	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
3	आवंटी संगठन के नाम में परिवर्तन के लिये आवेदन।	क्षेत्रीय प्रबन्धक	Real time	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
4	प्लॉटो/इकाईयों के सबलेटिंग/ सब–लीज के लिये आवेदन	क्षेत्रीय प्रबन्धक	Real time	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
5	आवंटी संगठन के पुनर्गठन के लिये आवेदन	क्षेत्रीय प्रबन्धक	Real time	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
6	बंधक अनुमति के लिये आवेदन	क्षेत्रीय प्रबन्धक	Real time	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
7	स्थानांतरण अनुमति के लिये आवेदन	क्षेत्रीय प्रबन्धक	Real time	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

8	भूखण्डों का समर्पण।	क्षेत्रीय प्रबन्धक	10 दिवस	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
9	आवंटित प्लॉट का समय–विस्तार	क्षेत्रीय प्रबन्धक	Real time	महाप्रबन्धक, सिडकुल	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

(ख) राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
10	कंपाउंडिंग	वास्तुविद् नियोजक	20 दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
11	विस्तार	वास्तुविद् नियोजक	20 दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
12	अतिरिक्त परिवर्तन	वास्तुविद् नियोजक	20 दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
13	संशोधन	वास्तुविद् नियोजक	20 दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
14	नया सबमिशन	वास्तुविद् नियोजक	23 दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
15	समापन/आंशिक	वास्तुविद् नियोजक	20 दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
16	प्लिंथ स्तर का निरीक्षण	वास्तुविद् नियोजक	05 दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
17	ले आउट स्वीकृति	वास्तुविद् नियोजक	23 दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

12. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	विभिन्न औद्योगिक नीतियों में प्रदत्त वित्तीय सहायता के दावों का पूर्व–पंजीकरण–आशय पत्र जारी करना।	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।	30 दिवस (दिशा–निर्देशानुसार सम्पूरित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	उप निदेशक, उद्योग।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
2	विभिन्न औद्योगिक नीतियों में प्रदत्त वित्तीय सहायता के दावों की स्वीकृति।	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक उद्योग	90 दिवस (दिशा–निर्देशानुसार सम्पूरित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	उप निदेशक, उद्योग।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
3	विभिन्न औद्योगिक नीतियों में तहत स्वीकृति दावों का संवितरण।	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।	90 दिवस (बजट प्राप्ति के पश्चात्)	उप निदेशक, उद्योग।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

13. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
			स्तर वार समय	कुल समय			
1	वीरता पुरस्कार (परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एवं शौर्य चक्र) एकमुश्त/वार्षिकी के भुगतान हेतु चिन्हीकरण।	सैनिक कल्याण लिपिक	15 दिवस	30 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी	15 दिवस				
2	वीरता पुरस्कार (सेना मेडल (गैलेन्ट्री), मेंशन–इन–डिस्पैच) एकमुश्त/वार्षिकी के भुगतान हेतु चिन्हीकरण।	सैनिक कल्याण लिपिक	15 दिवस	30 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी	15 दिवस				

3	वीरता पुरस्कार (सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं युद्ध सेवा मेडल) एकमुश्त/वार्षिकी के भुगतान हेतु चिन्हीकरण।	सैनिक कल्याण लिपिक	15 दिवस	30 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी	15 दिवस				
4	विशिष्ट सेवा पदक (परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल) एकमुश्त/वार्षिकी के भुगतान हेतु चिन्हीकरण	सैनिक कल्याण लिपिक	15 दिवस	30 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी	15 दिवस				
5	पूर्व सैनिक पंजीकरण योग्यता संशोधन।	संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी।	15 दिवस		उप-निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
6	पूर्व सैनिक नवीनीकरण रोजगार पंजीकरण।	संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी।	15 दिवस		उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

14. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग:-

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
			स्तरवार समय	कुल समय			
1	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ जल संयोजन का आकार बदलना						
	(क) 15 एम0एम0 से 40 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक/सम्बन्धित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित				
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित				
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत/अस्वीकृत				
	(ख) 50 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक/सम्बन्धित कार्मिक	5 दिवस में अग्रसारित	30 दिवस	महा प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		कनिष्ठ अभियन्ता	11 दिवस में अग्रसारित				
		सहायक अभियन्ता	5 दिवस में अग्रसारित				
		अधिशासी अभियन्ता	5 दिवस में अग्रसारित				
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस में स्वीकृत/अस्वीकृत				
	(ग) 50 एम0एम0 व्यास से अधिक के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक/सम्बन्धित कार्मिक	5 दिवस में अग्रसारित	30 दिवस	मुख्य महा प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		कनिष्ठ अभियन्ता	10 दिवस में अग्रसारित				
		सहायक अभियन्ता	4 दिवस में अग्रसारित				
		अधिशासी अभियन्ता	4 दिवस				
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस				
		महा प्रबन्धक	3 दिवस में स्वीकृत/अस्वीकृत				
2	जहाँ साध्य हो वहाँ जल संयोजन /सीवर संयोजन के उपयोग में परिवर्तन	राजस्व निरीक्षक/सम्बन्धित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित				
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित				
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत/अस्वीकृत				

3	जहाँ साध्य हो वहाँ अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करना	राजस्व निरीक्षक/ सम्बन्धित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित				
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित				
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत/ अस्वीकृत				
4	पेयजल अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र निर्गत करना	राजस्व निरीक्षक/ सम्बन्धित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित				
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित				
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत/ अस्वीकृत				

15. परिवहन विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	Driving licences extract provisioning	RTO/ARTO	02 दिवस	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
2	Surrender of class of vehicle from licence	RTO/ARTO	02 दिवस	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन (बायोमेट्रिक हेतु ऑफलाईन)
3	Deposit of registration certificate fee	RTO/ARTO	02 दिवस	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन (offline for other state and other region vehicle)
4	Application for grant of no objection certificate (NOC) for certificate of registration	RTO/ARTO	03 दिवस	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन (offline for form 20)
5	view registration certificate (RC) particulars against fee	RTO/ARTO	01 दिवस	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
6	payment of additional life time tax (Transfer of ownership case)	RTO/ARTO	03 दिवस	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
7	Issue of fresh permit	Sec. STA/RTO	07 दिवस (after grant by competent authority)	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन/ ऑफलाईन
8	Issue of duplicate permit	Sec. STA/RTO	07 दिवस (after grant by competent authority)	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन/ ऑफलाईन
9	Transfer of permit	Sec. STA/RTO	07 दिवस (after grant by competent authority)	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन/ ऑफलाईन

10	Transfer of permit (Death case)	Sec. STA/RTO	07 दिवस (after grant by competent authority)	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन / ऑफलाईन
11	Update mobile number in record for transport services	RTO/ARTO	01 दिवस	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

16. सहकारिता विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना	सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति	45 दिवस	अपर जिला सहकारी अधिकारी (सहकारिता)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण	सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति	45 दिवस	अपर जिला सहकारी अधिकारी (सहकारिता)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	नवीन सहकारी का पंजीकरण	उप निबन्धक, सहकारी समितियां	60 दिवस	संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन / ऑनलाईन
4	फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना	सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति	30 दिवस	अपर जिला सहकारी अधिकारी (सहकारिता)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	Membership in the primary agriculture co-operative societies (PAC)	सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति	30 दिवस	अपर जिला सहकारी अधिकारी (सहकारिता)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	Issue kisan credit to the member of a PAC	सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति	45 दिवस	अपर जिला सहकारी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
7	Issue of deposit receipt/ pass book	सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति/शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा, जिला सहकारी बैंक	07 दिवस	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
8	Receipt toward repayment of loan	सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित सहकारी समिति/शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा, जिला सहकारी बैंक	01 दिवस	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
9	Issue of fresh cheque books by the CCB	शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा, जिला सहकारी बैंक	30 दिवस	उप महाप्रबन्धक, प्रशासन, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
10	Issue of personalized rupay ATM card	शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा, जिला सहकारी बैंक	60 दिवस	उप महाप्रबन्धक, प्रशासन, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

11	Issue of fresh cheque books by the UKSCB	शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा, उ0 राज्य सहकारी बैंक लि0	30 दिवस	उप महाप्रबन्धक, प्रशासन, सम्बन्धित राज्य सहकारी बैंक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
12	Amendment of byelaws (a) primary Co-operative societies	उप निबन्धक, सहकारी समितियां	30 दिवस	संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
13	Amendment of byelaws (b) secondary Co-operative societies	उप निबन्धक, सहकारी समितियां	30 दिवस	संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
14	Amendment of byelaws (c) state level Co-operative societies	उप निबन्धक, सहकारी समितियां	30 दिवस	संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन
15	Obtaining certified copy of the society registration	उप निबन्धक, सहकारी समितियां	30 दिवस	संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन/ ऑनलाईन

17. कृषि एवं कृषक कल्याण विभागः–

(क) रेशम विभाग

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा (नागरिकों से सम्बन्धित सेवाऐं)	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान करने की निधारित समय सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
			स्तर वार समय–सीमा	कुल सीमा			
1	विभागीय क्रियाकलापों को अंगीकृत करने (यथा वृक्षारोपण कीटपालपन आदि) सम्बन्धी अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही	निरीक्षक (रेशम)	9 दिवस	15 दिवस (पत्र प्राप्ति के बाद)	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		सहायक निदेशक (रेशम)	03 दिवस				
		उप निदेशक (रेशम)	03 दिवस				
2	वृक्षारोपण हेतु भोज्य पौधों की मांग आपूर्ति पर कार्यवाही	निरीक्षक (रेशम)	9 दिवस	15 दिवस (वृक्षारोपण हेतु पौधा मांग नर्सरी स्थापना पूरी होनी चाहिये)	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		सहायक निदेशक (रेशम)	03 दिवस				
		उप निरक्षक (रेशम)	03 दिवस				
3	शहतूत पौधशाला हेतु शहतूत कटिंग की आपूर्ति पर कार्यवाही	निरीक्षक (रेशम)	9 दिवस	15 दिवस (पौधशाला स्थापना काल अवधि में पौधालय स्थापना हेतु अनुरोध पत्र 03 माह पूर्व)	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		सहायक निदेशक (रेशम)	03 दिवस				
		उप निदेशक (रेशम)	03 दिवस				
4	पौधालय स्थापना एवं रख–रखाव की तकनीकी जानकारी एवं सुझाव	निरीक्षक (रेशम)	9 दिवस	15 दिवस	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		सहायक निदेशक (रेशम)	03 दिवस				
		उप निदेशक (रेशम)	03 दिवस				
5	पंजीकृत पौधशालायों से पौधों की आपूर्ति	निरीक्षक (रेशम)	15 दिवस	30 दिवस (वृक्षारोपण काल में)	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		सहायक निदेशक (रेशम)	10 दिवस				
		उप निदेशक (रेशम)	05 दिवस				
6	कीटपालन से पूर्व विशुद्धीकरण हेतु अनुरोधों पर कार्यवाही	निरीक्षक (रेशम)	9 दिवस	15 दिवस	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
		सहायक निदेशक (रेशम)	03 दिवस				
		उप निदेशक (रेशम)	03 दिवस				

7	चॉकीकृत रेशम कीटों की आपूर्ति की कार्यवाही	निरीक्षक (रेशम) सहा0 निदेशक (रेशम) उप निदेशक (रेशम)	01 दिवस 01 दिवस 01 दिवस	कीटपालन फसल अवधि में 03 दिवस के भीतर (पुराने कीटपालकों हेतु।)	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
8	रेशम कीटों में बीमारी के निदान की कार्यवाही	निरीक्षक (रेशम) सहा0 निदेशक (रेशम) उप निदेशक (रेशम)	24 घंटे के अन्दर		सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
9	तैयार रेशम कोयों का विपणन यू0सी0आर0एफ0 के माध्यम से कराना	प्रबन्धक यू0सी0आर0एफ0 उप निदेशक (रेशम) (अतिरिक्त प्रभार) प्रबन्धक यू0सी0आर0एफ0	02 दिवस 02 दिवस 01 दिवस	03 से 05 दिवस (कोसोत्तर कार्य यू0सी0आर0एफ0 द्वारा किये जाते है।)	उप निदेशक (रेशम) (अतिरिक्त प्रभार)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
10	रेशम कोयों का कृषकों का भुगतान यू0सी0आर0एफ0 से सुनिश्चित कराना	प्रबन्धक यू0सी0आर0एफ0 उप निदेशक (रेशम)(अतिरिक्त प्रभार) प्रबन्ध निदेशक यू0सी0आर0एफ0	01 दिवस (स्थल भुगतान) (कोसोत्तर कार्य यू0सी0आर0एफ0 द्वारा किये जाते है।	–	उप निदेशक (रेशम) (अतिरिक्त प्रभार)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
11	विभाग के क्रियाकलापों का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही	निरीक्षक (रेशम) सहा0 निदेशक (रेशम) उप निदेशक (रेशम)	15 दिवस 05 दिवस 05 दिवस	25 दिवस	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग ऑनलाईन	–
12	रेशम कीटपालन इकाई की स्थापना (रेशम) कीटपालन गृह, रेशम कीटपालन उपकरण आदि) की मांग सम्बन्धी अनुरोध पत्रों पर कार्यवाही	निरीक्षक (रेशम) सहायक निदेशक (रेशम) उप निदेशक (रेशम)	10 दिवस 05 दिवस 05 दिवस	20 दिवस (चिन्हित क्षेत्रों में)	सहायक निदेशक (रेशम)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

(ख) कृषि एवं कृषक कल्याण (विपणन) विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
13	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत विनिर्माण/ एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय)	45 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
14	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत विनिर्माण/ एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना	अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय)	45 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

15	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना	अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय)	30 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
16	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण किया जाना	अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय)	30 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
17	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत जनपद में फुटकर विक्रय लाईसेंस निर्गत किया जाना	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
18	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत जनपद में फुटकर विक्रय लाईसेंस का नवीनीकरण किया जाना	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
19	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विनिर्माण लाइसेंस निर्गत किया जाना	संयुक्त कृषि निदेशक (गु0नि0)	30 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
20	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विनिर्माण लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना	संयुक्त कृषि निदेशक (गु0नि0)	30 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
21	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विक्रय एवं भण्डारण हेतु लाइसेंस निर्गत किया जाना	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
22	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विक्रय एवं भण्डारण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
23	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति	संयुक्त कृषि निदेशक (गु0नि0)	30 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
24	बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत बीज विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	मुख्य कृषि अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
25	उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत मिश्रण/विशेष मिश्रण उर्वरक निर्माण के लिए प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	अपर कृषि निदेशक मुख्यालय	45 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
26	उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी एंड एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन का नवीनीकरण एवं उर्वरक नियंन्त्रण आदेश 1985 के तहत	अपर कृषि निदेशक मुख्यालय	30 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

27	थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री/भंडारण के लिए आवेदन का नवीनीकरण (उर्वरक के तहत सेवा)	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
28	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अधिसूचित उत्पाद के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	अपर कृषि निदेशक मुख्यालय	45 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
29	उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी एंड एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत	अपर कृषि निदेशक मुख्यालय	30 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
30	थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री/भंडारण के लिए आवेदन (उर्वरक के अन्तर्गत सेवा)	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
31	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत मिश्रण/ विशेष मिश्रण उर्वरक निर्माण के लिए प्रमाण पत्र	अपर कृषि निदेशक मुख्यालय	45 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
32	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत मिश्रण/विशेष मिश्रण उर्वरक निर्माण के लिए प्रमाण पत्र में संशोधन	अपर कृषि निदेशक मुख्यालय	45 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
33	उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी एंड एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन में संशोधन एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत	अपर कृषि निदेशक मुख्यालय	30 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
34	थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री/भंडारण के लिए आवेदन में संशोधन (उर्वरक के तहत सेवाएँ)	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
35	कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन	संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियन्त्रण)	30 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
36	कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेन्स हेतु आवेदन में संशोधन	संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियन्त्रण)	30 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
37	कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या प्रदर्शन या वितरित करने के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
38	कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या प्रदर्शन या वितरित करने के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन में संशोधन	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

39	कीटनाशक वाणिज्यिक कीट नियंन्त्रण कार्यो के स्टॉक और उपयोग के लिए लाइसेन्स के लिए आवेदन	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
40	कीटनाशक वाणिज्यिक कीट नियंन्त्रण कार्यो के स्टॉक और उपयोग के लिए लाइसेन्स के लिए आवेदन का नवीनीकरण	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
41	बीजो के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	मुख्य कृषि अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
42	बीजो के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का नवीनीकरण	मुख्य कृषि अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
43	बीजो के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन में संशोधन	मुख्य कृषि अधिकारी	15 दिवस	कृषि निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

(ग) कृषि एवं कृषक कल्याण (उद्यान) विभागः—

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
44	पौधशाला पंजीकरण	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्तर्गत निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, द्वारा स्वीकृत/जारी किया जायेगा।	सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
45	पुरानी पंजीकृत पौधशालाओं का नवीनीकरण	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्तर्गत निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, द्वारा स्वीकृत/जारी किया जायेगा।	सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—

18. आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागः—

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	Ayush Chikitsa ka panjiyan(After verification of Documents)	स्वागती/क0सहा0	03 दिवस	15 दिवस	अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
		पटल सहायक/क0सहा0	09 दिवस				
		रजिस्ट्रार	03 दिवस				
2	Ayush Chikitsa ka Provisional Panjiyan	स्वागती/क0सहा0	02 दिवस	10 दिवस	अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
		पटल सहायक/क0सहा0	03 दिवस				
		रजिस्ट्रार	05 दिवस				
3	Other State me Panjiyan ke liye NOC Jari karna	स्वागती/क0सहा0	02 दिवस	07 दिवस	अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
		पटल सहायक/क0सहा0	03 दिवस				
		रजिस्ट्रार	02 दिवस				
4	D.Pharma/B.Pharma /Pharma D.ke bad ke liye Panjiyan	स्वागती/क0सहा0	03 दिवस	15 दिवस	अध्यक्ष/नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	—
		पटल सहायक/क0सहा0	09 दिवस				
		रजिस्ट्रार	03 दिवस				

5	Panjiyan Certificate ki Second Copy dena	स्वागती / क0सहा0	02 दिवस	07 दिवस	अध्यक्ष / नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	--
		पटल सहायक / क0सहा0	03 दिवस				
		रजिस्ट्रार	02 दिवस				
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव का तकनीकी परीक्षण एवं अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्रति हस्ताक्षरित किया जाना	चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (रू0 2,000 तक)	45 दिवस	45 दिवस	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी (रू0 2,000 से रू0 10,000 तक)	45 दिवस	45 दिवस	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी		
		निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड (रू0 10,000 से अधिक)	45 दिवस	45 दिवस	संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड		
7	पंचकर्म / क्षार सूत्र चिकित्सा सुविधा (शासकीय अवकाश को छोड़कर)	चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	प्रतिदिन (सुविधायुक्त चिकित्सालय में)	प्रतिदिन (सुविधायुक्त चिकित्सालय में)	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

19. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	कोविड–19 मृत्यु मुआवजा	राजस्व निरीक्षक / तहसीलदार / जिला प्रबन्धन अधिकारी	60 दिवस	उप जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	--

20. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	भारत सरकार द्वारा संचालित Scheme for Providing Education In Minorities (Spemm) (SPQEM)	सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी	सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर 30 दिवस	60 दिवस	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड, मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	--
			उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् स्तर पर 30 दिवस				
2	अल्प संख्यक स्वरोजगार योजना	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पदेन जिला प्रबन्धक	जिला स्तर	60 दिवस	महा प्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	--
			निदेशालय स्तर	15 दिवस			
3	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी	आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त एक माह के अन्दर		उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	--
4	मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण योजना	पदेन जिला प्रबन्धक	आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त दो माह के अन्दर		महा प्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	--

21. पशुपालन विभाग:—

क्रं0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों को राज्य सैक्टर के अन्तर्गत गाय/भेड़/बकरी पालन में लाभार्थी के चयन के पश्चात् बैंक खाते में अनुदान धनराशि का प्रेषण	पशु चिकित्सा अधिकारी	15 दिवस	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
2	बीमार पशुओं की पशु चिकित्सालय में उपलब्धता पर पशु चिकित्सा	पशु चिकित्सा अधिकारी	उसी दिवस में	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	पशु चिकित्सालय में गर्भी आये पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान	पशु चिकित्सा अधिकारी	24 घण्टे	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
डेयरी विकास विभाग						
4	Decision on registration of Dairy committees	प्रधान प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0	20 दिवस	60 दिवस	उप निदेशक (निबन्धन) डेरी विकास विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	--
		सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	20 दिवस				
		उप निदेशक (निबन्धन) डेरी विकास विभाग	20 दिवस				

22. राजस्व विभाग:—

क्र0सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा			प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	लीज नवीनीकरण	जिलाधिकारी की स्वीकृति से अपर जिलाधिकारी	राजस्व उप निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक	30 दिवस	60 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
			तहसीलदार	10 दिवस				
			उप जिलाधिकारी	05 दिवस				
			अपर जिलाधिकारी	15 दिवस				
2	नवीन शस्त्र लाईसेंस	जिला मजिस्ट्रेट	रेगुलर पुलिस (थानाध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक)/राजस्व पुलिस (पटवारी/नायब तहसीलदार) जाँच	25 दिवस	90 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
			उप जिलाधिकारी	05 दिवस				
			जिला मजिस्ट्रेट	60 दिवस				
3	शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण	प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)/उप जिला मजिस्ट्रेट	रेगुलर पुलिस (थानाध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक)/राजस्व पुलिस (पटवारी/नायब तहसीलदार) जाँच	15 दिवस	45 दिवस	अपर जिलाधिकारी (प्र0)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
			प्रभारी अधिकारी (शस्त्र/उप जिला मजिस्ट्रेट)	30 दिवस				
4	खनन पट्टा चाहने हेतु शासन को संस्तुति भेजना	जिलाधिकारी	राजस्व उप निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक	15 दिवस	50 दिवस	मण्डलायुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
			तहसीलदार	05 दिवस				
			खान अधिकारी/उप जिलाधिकारी के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण	20 दिवस				
			जिलाधिकारी	10 दिवस				
5	मिट्टी का खनन उठाने हेतु अनुज्ञा पत्र	जिलाधिकारी	राजस्व उप निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक	25 दिवस	60 दिवस	मण्डलायुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
			तहसीलदार	10 दिवस				
			उप जिलाधिकारी	05 दिवस				
			जिलाधिकारी	20 दिवस				

6	भण्डारण की अनुमति	जिलाधिकारी	राजस्व उप निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक	20 दिवस	60 दिवस	मण्डलायुक्त	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
			तहसीलदार	05 दिवस				
			उप जिलाधिकारी	10 दिवस				
			जिलाधिकारी	25 दिवस				
7	राजस्व अभिलेखागार/ न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण	जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार	प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार	आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की तिथि पर अथवा अपरिहार्य स्थिति में दूसरे कार्य दिवस पर		अपर जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
8	उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण–पत्र	तहसीलदार	राजस्व उप निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक	10 दिवस	15 दिवस	उप जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
			तहसीलदार	05 दिवस				
9	शस्त्र लाईसेंस का स्थानान्तरण (एक जनपद से दूसरे जनपद)	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)	रेगुलर पुलिस – थानाध्यक्ष/ राजस्व पुलिस (पटवारी/नायब तहसीलदार) जाँच	15 दिवस	30 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
			प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)/उप जिला मजिस्ट्रेट	15 दिवस				

23. लघु सिंचाई विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "ई" श्रेणी में पंजीयन/नवीनीकरण (मौजूदा/गैर–मौजूदा)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

24. संस्कृत शिक्षा विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0)	प्रधानाचार्य (सम्बन्धित संस्कृत विद्यालय)	आवेदन प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्तर्गत	सहायक निदेशक (सम्बन्धित जनपद)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
2	मूल प्रमाण–पत्र जारी करना	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
3	डुप्लिकेट प्रमाण–पत्र जारी करना	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
4	मूल अंकपत्र जारी करना	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
5	डुप्लिकेट अंकपत्र जारी करना	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

6	सुधार कर सही प्रमाण–पत्र जारी करना	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
7	सुधार कर अंकपत्र जारी करना	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
8	रद्द परीक्षा परिणाम पर निर्णय	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
9	शेक परिणाम पर निर्णय	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
10	अधूरा/गलत परिणाम के सुधार पर निर्णय	उप सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिवस के अन्तर्गत	सचिव, (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
11	समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/ अ0पि0वर्ग/ अल्पसंख्यक) के आवेदन पत्रों का समाज कल्याण विभाग को अग्रसारण	प्रधानाचार्य (सम्बन्धित संस्कृत विद्यालय)	आवेदन प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्तर्गत	सहायक निदेशक (सम्बन्धित जनपद)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
12	समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति)	संयोजक छात्र समिति	छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्रों को समाज कल्याण को प्रेषित किया जाता है तथा समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त होने के पश्चात् 2 सप्ताह के अन्तर्गत निर्गत की जाती है	कुल सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
13	अंकपत्र	उप कुल सचिव	परीक्षाफल घोषित होने के 60 दिवसों के भीतर	कुल सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
14	अस्थायी उपाधि प्रमाण–पत्र	उप कुल सचिव	अंकपत्र जारी होने के 02 सप्ताह के उपरान्त्	कुल सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
15	विश्व विद्यालय द्वारा निर्गत उपाधि प्रमाण–पत्र	उप कुल सचिव	परीक्षा उत्तीर्ण करने के 01 वर्ष बाद या दीक्षान्त समारोह में (परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार निर्गत की जा सकती है)	कुल सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
16	प्रवजन प्रमाण–पत्र	उप कुल सचिव	15 दिवस के भीतर	कुल सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–
17	द्वितीय प्रति अंकपत्र/ उपाधि/ प्रवजन प्रमाण–पत्र (खोने की दशा में)	उप कुल सचिव	आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर	कुल सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	–

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेज़ों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

डॉ विजय कुमार जोगदाण्डे,
अपर सचिव।

सू0 प्रौ0, सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0–03

अधिसूचना

09 अक्टूबर, 2023 ई0

संख्याः I/160066/E-17505/2023/XXXIV(3)/-20(02)21–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:–

1. खेल विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों एवं जज, निर्णायक को नकद पुरस्कार से सम्बन्धित सेवायें						
1	ओलम्पिक खेल/पैरा ओलम्पिक (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष में एक बार आयोजित तथा ऑल इण्डियन चैम्पियनशिप ऑफ बैडमिन्टन)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	विश्व कप/ चैम्पियनशिप/आईपीसी विश्वकप (02 वर्ष में एक बार आयोजित)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	विश्व कप/ चैम्पियनशिप/आईपीसी /आईबीएसए ब्लाईण्ड (प्रत्येक वर्ष आयोजित)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	एशियन गेम्स/पैरा एशियन गेम्स	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	कॉमनवैल्थ गेम्स/पैरा कॉमनवैल्थ गेम्स	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
7	एशियन चैम्पियनशिप (04 वर्ष में एक बार आयोजित)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
8	एशियन/पैरा एशियन चैम्पियनशिप (02 वर्ष में एक बार आयोजित)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
9	एशियन/पैरा एशियन चैम्पियनशिप (प्रत्येक वर्ष आयोजित)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
10	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप (04 वर्ष में एक बार आयोजित)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
11	कॉमनवेल्थ/पैरा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप (02 वर्ष में एक बार आयोजित)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
12	कॉमनवेल्थ/पैरा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप (प्रत्येक वर्ष आयोजित)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
13	यूथ ओलम्पिक गेम्स	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
14	सैफ गेम्स	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
15	नेशनल गेम्स	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
16	यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
17	यूथ एशियन गेम्स/सैफ चैम्पियनशिप	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
18	डेफलोम्पिंग/स्पेशल ओलम्पिक (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
19	नेशनल चैम्पियनशिप	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
20	अन्तर्राष्ट्रीय वेटरन चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्ग)	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
21	राष्ट्रीय स्कूल खेल/अखिल भारतीय पुलिस गेम्स	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
22	ऑल इण्डिया विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स/चैम्पियनशिप	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ऑफलाईन)
23	राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
24	अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
25	राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
26	नेशनल पैरा ओलम्पिक/डेफ ओलम्पिक/आई०पी०सी०/आई०बी०एस०ए० ब्लाईण्ड/स्पेशल ओलम्पिक	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
27	वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
28	प्रशिक्षक हेतु धनराशि ओलम्पिक/पैरा ओलम्पिक खेल	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
29	प्रशिक्षक हेतु धनराशि एशियन/पैरा एशियन/विश्व कप/पैरा विश्व कप/चैम्पियनशिप	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
30	प्रशिक्षक हेतु धनराशि कॉमनवेल्थ/यूथ ओलम्पिक/सैफ (एशियन जोन)/यूथ एशियन	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
31	प्रशिक्षक हेतु धनराशि डेफ ओलम्पिक/स्पेशल ओलम्पिक/नेशनल ओलम्पिक/नेशनल पैरा/नेशनल गेम्स/चैम्पियनशिप	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
32	जूनियर यूथ सब जूनियर एवं कैडेट हेतु पुरस्कार धनराशि	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
33	राज्यों के खेल संघों की राष्ट्रीय/राज्य/जिलास्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने तथा उपस्कर क्रय हेतु अनुदान	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
34	मान्यता प्राप्त खेल संघों की राज्य टीम को खेल किट एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था किया जाना	निदेशक, खेल विभाग	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिवसों के भीतर (बजट की उपलब्धता के आधार पर)	सचिव, खेल विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

2. लघु सिंचाई विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
1	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "A" श्रेणी में पंजीयन (मौजूदा)	स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
2	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "A" श्रेणी में पंजीयन (गैर–मौजूदा)	स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
3	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "A" श्रेणी में नवीनीकरण (मौजूदा)	स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
4	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "A" श्रेणी में नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
5	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "B" श्रेणी में पंजीयन (मौजूदा)	स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
6	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "B" श्रेणी में पंजीयन (गैर–मौजूदा)	स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
7	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "B" श्रेणी में नवीनीकरण (मौजूदा)	स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
8	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "B" श्रेणी में नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	स्टॉफ ऑफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
9	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "C" श्रेणी में पंजीयन (मौजूदा)	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
10	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "C" श्रेणी में पंजीयन (गैर–मौजूदा)	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
11	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "C" श्रेणी में नवीनीकरण (मौजूदा)	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
12	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "C" श्रेणी में नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
13	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "D" श्रेणी में पंजीयन (मौजूदा)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
14	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "D" श्रेणी में पंजीयन (गैर–मौजूदा)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
15	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "D" श्रेणी में नवीनीकरण (मौजूदा)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
16	विभागीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों का "D" श्रेणी में नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	45 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

3. गृह विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
1	गैस एवं तेल डिपो के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	पूर्व स्थापना–15 दिवस प्री0 ऑपरेशनल–30 दिवस नवीनीकरण/वार्षिक क्लीयरेन्स–15 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	गैस गोदाम एवं एजेंसी के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	पूर्व स्थापना–15 दिवस प्री0 ऑपरेशनल–30 दिवस नवीनीकरण/वार्षिक क्लीयरेन्स–15 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	शस्त्र भण्डारण के लाईसेंस हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	30 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	शस्त्र मरम्मत के लाईसेंस हेतु प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	शस्त्र भण्डारण के लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	नवीनीकरण–30 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	शस्त्र मरम्मत के लाईसेंस नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	नवीनीकरण–15 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
7	हैलीपैड के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस (अस्थायी)	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
8	लघु स्तर के डीजल/कैरोसीन के विक्रय स्टेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस (अस्थायी)	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
9	खतरनाक एवं हानिकारक पदार्थों के परिवहन हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस (अस्थायी)	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
10	राहत कार्य रिपोर्ट	अग्निशमन अधिकारी	30 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
11	जीव रक्षा/बचाव कार्य रिपोर्ट	अग्निशमन अधिकारी	30 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

4. सिंचाई विभाग:–

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
			स्तरवार समय–सीमा	कुल समय			
1	नहरों की समुचित सफाई का विवरण एवं कार्यक्रम	कनिष्ठ अभियन्ता	8 दिवस	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी	4 दिवस				
		अधिशासी अभियन्ता (जारीकर्ता)	3 दिवस				
2	नहरों की कटिंग सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण	कनिष्ठ अभियन्ता	8 दिवस	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी	4 दिवस				
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस				
3	रोस्टर के अनुसार नहरों का चलना	कनिष्ठ अभियन्ता	8 दिवस	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी	4 दिवस				
		अधिशासी अभियन्ता (जारीकर्ता)	3 दिवस				
4	नहरों के कुलाबों की व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण	कनिष्ठ अभियन्ता/ जिलेदार	8 दिवस	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी	4 दिवस				
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस				
5	राजकीय नलकूपों के संचालन से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण	कनिष्ठ अभियन्ता	8 दिवस	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी	4 दिवस				
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस				
6	राजकीय नलकूपों की बन्दी समीक्षा	कनिष्ठ अभियन्ता/ जिलेदार	8 दिवस	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		सहायक अभियन्ता/ उप राजस्व अधिकारी	4 दिवस				
		अधिशासी अभियन्ता (जारीकर्ता)	3 दिवस				
7	सिंचाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण	जिलेदार	8 दिवस	15 दिवस	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		उप राजस्व अधिकारी	7 दिवस				
8	राजकीय नलकूपों पर विद्युत आपूर्ति समीक्षा	कनिष्ठ अभियन्ता	8 दिवस	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		सहायक अभियन्ता	4 दिवस				
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस				

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ऑफलाईन)
			स्तरवार समय–सीमा	कुल समय			
9	सिंचाई की पर्ची दिया जाना	जिलेदार	8 दिवस	15 दिवस	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		उप राजस्व अधिकारी	7 दिवस				
10	वृहद एवं मध्यम नहर प्रणाली से खरीफ एवं रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु रोस्टर बनाया जाना	कनिष्ठ अभियन्ता	8 दिवस	15 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		सहायक अभियन्ता/उप राजस्व अधिकारी	4 दिवस				
		अधिशासी अभियन्ता (जारीकर्ता)	3 दिवस				

5. लोक निर्माण विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ऑफलाईन)
1	पंजीकरण ठेकेदारों का नवीनीकरण श्रेणी "ए"	प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	45 दिवस	वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण श्रेणी "बी"	प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	45 दिवस	मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय) (सम्बन्धित)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण श्रेणी "सी"	प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	45 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण श्रेणी "डी"	प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	45 दिवस	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	सड़क सीमा को प्रभावित करने वाले उद्योग/बिजली परियोजना की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना (पी0डब्लू0डी0 के क्षेत्रान्तर्गत)।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	01 माह	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	शहरी क्षेत्रों के बाहर सड़क के बन्द ड्रेनेज को साफ किया जाना (पी0डब्लू0डी0 के क्षेत्रान्तर्गत केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग हेतु)।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	07 दिवस	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
7	लागत का मूल्यांकन एवं किराया तर्कसंगतता।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	45 दिवस	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
8	सड़क निर्माण हेतु कटने वाले खेतों/नाप भूमि का काश्तकारों को मुआवजा (पी0डब्लू0डी0 के क्षेत्रान्तर्गत)।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	60 दिवस (चिह्नांकन प्रस्ताव की तिथि के बाद)	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन / ऑफलाईन)
9	भवन हेतु मुआवजा / भवन अधिग्रहण हेतु मुआवजा (पी0डब्लू0डी0 के क्षेत्रान्तर्गत)।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	60 दिवस (चिह्नांकन प्रस्ताव की तिथि के बाद)	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
10	सड़क के मलवे से दबी भूमि / गोटर मार्ग कटिंग से हुई क्षतिपूर्ति का आकलन (पी0डब्लू0डी0 के क्षेत्रान्तर्गत)।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	60 दिवस (क्षतियों की तिथि के बाद)	अधिशासी अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

8. पशुपालन विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन / ऑफलाईन)
1	पशु चिकित्सालय पर निर्धारित कार्य दिवस तथा कार्य समय पर टीकाकरण	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	उसी कार्य दिवस पर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	पशु पालक के द्वार पर टीकाकरण (अभियान के दौरान)	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	07 कार्य दिवस	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	पशु चिकित्साधिकारी की अनुशंसा पर पशु चिकित्सालय पर बधियाकरण (बैल, बकरा, भैंसा, मेंढ़ा)	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	उसी कार्य दिवस पर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2 / पशुधन प्रसार अधिकारी	24 घण्टे के अन्दर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	पशु चिकित्साधिकारी की अनुशंसा पर पशु चिकित्सालय पर रोग अन्वेषण	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	जाँच अवधि के अनुरूप	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
6	पशु चिकित्सालय पर पशुओं का दवापान	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	उसी कार्य दिवस पर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
7	पशु चिकित्साधिकारी की अनुशंसा पर एक्सरे / अल्ट्रासाउण्ड (केवल चयनित चिकित्सालयों पर)	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	उसी कार्य दिवस पर	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
8	निर्धारित प्रारूप पर भेड़–बकरी पालकों का पंजीकरण	सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 / ग्रेड–2	15 दिवस	सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन

7. आयुष एवं आयुष शिक्षा (होम्योपैथी) विभागः–

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा		प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
			स्तरवार समय–सीमा	कुल समय			
1	होम्योपैथिक औषधि फुटकर हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/निदेशक होम्योपैथी	25 दिवस	60 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		उप निदेशक	15 दिवस				
		निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	20 दिवस				
2	होम्योपैथिक औषधि फुटकर हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/निदेशक होम्योपैथी	10 दिवस	30 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		उप निदेशक	10 दिवस				
		निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	10 दिवस				
3	होम्योपैथिक औषधि थोक हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/निदेशक होम्योपैथी	25 दिवस	60 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		उप निदेशक	15 दिवस				
		निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	20 दिवस				
4	होम्योपैथिक औषधि थोक हेतु लाइसेंस नवीनीकरण	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/निदेशक होम्योपैथी	10 दिवस	30 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		उप निदेशक	10 दिवस				
		निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	10 दिवस				
5	होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण के लिये नवीन लाइसेंस जारी करना	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/निदेशक होम्योपैथी	25 दिवस	60 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		उप निदेशक	15 दिवस				
		निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	20 दिवस				
6	होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण हेतु लाइसेंस नवीनीकरण	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी/निदेशक होम्योपैथी	10 दिवस	30 दिवस	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		उप निदेशक	10 दिवस				
		निरीक्षक/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	10 दिवस				

8. कृषि एवं कृषक कल्याण विभागः–

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
उद्यान विभागः–						
1	ग्रीन हाउस की पॉलीथीन बदलाव की योजना	सम्बन्धित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थी को 30 दिवस के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।	मण्डलीय संयुक्त निदेशक उद्यान	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
2	मिशन एप्पल योजना	सम्बन्धित जनपद के मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थी को 30 दिवस के अन्तर्गत मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।	मण्डलीय संयुक्त निदेशक उद्यान	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
कृषि एवं विपणन विभाग:–						
3	फुटकर लाइसेंस निर्गत हेतु	मण्डी सचिव	15 दिवस	महाप्रबन्धक (प्रशासन)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	फुटकर लाइसेंस नवीनीकरण	मण्डी सचिव	15 दिवस	महाप्रबन्धक (प्रशासन)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	ठेकेदारों का पंजीकरण	महाप्रबन्धक (तकनीकी) एवं उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)	15 दिवस	महाप्रबन्धक (प्रशासन)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

9. वित्त विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी विभाग:–						
1	रोके गये उपादान को निर्मुक्त किये जाने के लिये प्रपत्र–2 पर प्रमाण–पत्र का अग्रसारण	आहरण वितरण अधिकारी	07 दिवस	कार्यालयाध्यक्ष/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	अनन्तिम पेंशन का भुगतान	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकारी	प्रत्येक माह के 5वें दिवस तक	कार्यालयाध्यक्ष/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक/ पदाभिहित अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में जमा धनराशि का महालेखाकार कार्यालय से मिलान।	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष/ संयुक्त निदेशक /अपर निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण हेतु दावा	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकारी	सम्बन्धित विभाग द्वारा 30 दिवसों के भीतर शुद्ध दावा पेंशन स्वीकृत्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना।	कार्यालयाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
5	अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा/ विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त संतान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता	सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी	सम्बन्धित विभाग से शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर पी0पी0ओ0 जारी किया जाना।	कार्यालयाध्यक्ष/ अपर निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
		शिविर कार्यालय हल्द्वानी हेतु– सहायक कोषाधिकारी		उप कोषाधिकारी		
		सहायक कोषाधिकारी (जनपदीय कोषागार)		मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी		

10. औद्योगिक विकास (खनन) विभाग:–

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन)
1	उप खनिज के खनन पट्टे का आशय पत्र (Letter of Intent) (आर0सी0एम0 आदि हेतु)	अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन	30 दिवस	मुख्य सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	गौण खनिज के खनन पट्टे का आशय पत्र (Letter of Intent) (सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड आदि हेतु)	अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन	30 दिवस	मुख्य सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	गौण खनिज खनन पट्टा विलेख (Lease Deed) का निष्पादन	अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन	30 दिवस	मुख्य सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेंगी।
5. समस्त सम्बन्धित विभाग कृपया सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई0टी0डी0ए0) से समन्वय स्थापित करते हुए अपने विभाग की अधिसूचित सेवाओं को 'अपणि सरकार पोर्टल' पर ऑनलाईन करने का कष्ट करें।

डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/498–भाग 1–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 02, 2023

No. 381/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, the then Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, presently posted as Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 30.10.2023 to 04.11.2023 with permission to prefix 22.10.2023 as Sunday holiday and 23.10.2023 to 27.10.2023 as Dussehra holidays respectively and suffix 05.11.2023 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C..

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

I/c Registrar General.

NOTIFICATION

November / December 02, 2023

No. 382/XIV-a-52/Admin.A/2015--Ms. Jayshree Rana, Additional Chief Judicial Magistrate, Haridwar, is hereby sanctioned:

1.	Maternity leave for 180 days w.e.f. 18.01.2023 to 16.07.2023
2.	Child care leave for 75 days w.e.f. 17.07.2023 to 29.09.2023

NOTIFICATION

November / December 02, 2023

No. 383/XIV-a-27/Admin.A/2016--Shri Ramesh Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 19 days w.e.f. 14.08.2023 to 01.09.2023.

NOTIFICATION

October / December 02, 2023

No. 384/XIV-94/Admin.A/2003--Ms. Archana Sagar, Additional District & Sessions Judge/Special Judge (POCSO), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 18.08.2023 to 01.09.2023.

NOTIFICATION

November / December 02, 2023

No. 385/XIV-a-34/Admin.A/2020--Shri Vinit Kumar Srivastava, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 11.09.2023 to 17.09.2023.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar General.

NOTIFICATION

December 02, 2023

No. 386/XIV/a-47/Admin.A/2002--Shri Ashish Naithani, the then District & Sessions Judge, Pauri Grahwal, presently posted as Registrar General; High Court of Uttarakhand is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 28.08.2023 to 11.09.2023 with permission to prefix 27.08.2023 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Vigilance).

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTICE OF WITHDRAWAL OF THE ELECTION PETITION

(Under Section 109(2) of the Representation of the People Act, 1951)

[Original Jurisdiction]

ELECTION PETITION NO. 04 OF 2022

07th December, 2023

No. 20878/UHC/M/B. Section/Nainital--

Between

Qazi Mohammad Nizamuddin ..... Petitioner

And

Sarwat Kareem Ansari & others ..... Respondents

Withdrawal Application to withdraw Election Petition No. 04 of 2022, Qazi Mohammad Nizamuddin Versus Sarwat Kareem Ansari & others, challenging the election of Sarwat Kareem Ansari to the House of Legislative Assembly Uttarakhand from the 33 – Manglaur Constituency.

To,

Respondent No. 3: **Navneet Kumar (Guddu Bhaiya),**
S/o Mr. Vinod Kumar,
R/o House No.-591, Village Narsan Kalan,
Post Gurukul Narsan, Tehsil Roorkee,
District-Haridwar (Uttarakhand).

Respondent No. 4: **Qazi Mohd Monis,**
S/o Mr. Qazi Mohd Naeem,
R/o H. No. 637, Mohalla Qila, Manglore,
Tehsil Roorkee, District-Haridwar (Uttarakhand).

Respondent No. 5: **Vijendra Singh,**
S/o Mr. Omkar,
R/o Village-Libberheri, Post Libberheri,
District- Haridwar (Uttarakhand).

Respondent No. 6: **Sharad Pandey,**
S/o Mr. Shriniwas Pandey,
108 Sanjay Colony, Roorkee,
District-Haridwar (Uttarakhand).

Respondent No. 7: Anik Ahmed,
S/o Mr. Mohd Yameen,
R/o Sharma Colony, Brahmanwala Dharmpur,
District-Dehradun (Uttarakhand).

Respondent No. 9: Rajveer Singh,
S/o Sukhpal,
R/o 69, Nagla Koyal, Gurukul Narsan,
District-Haridwar (Uttarakhand).

Respondent No. 10: Satish Kumar,
S/o Mr. Rakam Singh,
Village Harchandpur, Post Gurukul Narsan,
District-Haridwar (Uttarakhand).

Whereas the petitioner above named has moved a Withdrawal Application (I.A.) No. 15 of 2023 in this Court to withdraw the Election Petition No. 04 of 2022, Qazi Mohammad Nizamuddin Versus Sarwat Kareem Ansari & others, calling in question the election of Sarwat Kareem Ansari to the House of Legislative Assembly Uttarakhand from the 33 – Manglaur Constituency and whereas the 3rd day of **January, 2024** has been fixed for hearing of aforesaid withdrawal application, you are hereby called upon to enter appearance on or before the said date at 10 O' clock in the forenoon.

You are further informed that if you wish to file any objection against the aforesaid withdrawal application, you should file the same on or before the date fixed.

Take notice that in default of your entering appearance on the date aforementioned the withdrawal application shall be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court this 6th day of December, 2023.

By Order of Court

illegible

Dy. Registrar (J.)
High Court of Uttarakhand at Nainital

Enclosure: (1) The true copy of withdrawal application with affidavit.

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

INDEX IA-15/2023

IN

WITHDRAWALAPPLICATIONNO. .....15.....OF 2023

(UnderSection109(1)of the Representation of People Act,1951) IN

ELECTION PETITION NO. 04 OF 2022

(UnderSection80readwith84,100(1)(b),100(1)(d)(i)&(iv),101and 125-A of the Representation of the People Act, 1951)

District-Haridwar

Between

Qazi Mohammad Nizamuddin .....Petitioner

And

Sarwat Kareem Ansari & others .....Respondents

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Index	1
2.	WithdrawalApplication	2-6
3.	Affidavit	7-10

Dated: 25.11.2023

(Qazi Mohammad Nizamuddin)
Petitioner
Through Counsel

(Vipul Sharma)
Advocate
Counsel for the petitioner

(Raveendra Singh Bisht)
Advocate
Counsel for the petitioner

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

WITHDRAWAL APPLICATION NO .....15..... OF2023

(UnderSection109(1)of the Representation of People Act,1951) IN ELECTION PETITION NO.04 OF 2022

(Under Section 80 read with 84,100(1)(b),100(1)(d)(i)&(iv),101and 125-A of the Representation of the People Act, 1951)

District-Haridwar

BETWEEN

Qazi Mohammad Nizamuddin (Male),
Aged about 47 years,
S/oMr.Qazi Mohammad Mohiuddin,
R/o House No. 599/1, Mohalla Kila,
Manglore.District-Haridwar(Uttarakhand).

.....Petitioner

AND

1. Sarwat Kareem Ansari,
S/o Mr. A. Hafeez,
R/oMohalla Bandar toll,Manglore,
District- Haridwar (Uttarakhand).

2. DineshSinghPawar,
S/oMr.TejpalSinghPanwar,
R/o HouseNo.D266,Subhash Nagar,
Safipur, Roorkee,
Post- Ganesh Vatika Roorkee,
District-Haridwar(Uttarakhand).

3. Navneet Kumar (GudduBhaiya),
S/o Mr. Vinod Kumar,
R/oHouseNo.-591,Village Narsan Kalan,
Post Gurukul Narsan, Tehsil Roorkee,
District-Haridwar (Uttarakhand).

4. QaziMohdMonis,
S/o Mr.Qazi Mohd Naeem,
R/oH.No.637,MohallaQila,Manglore,
Tehsil Roorkee,District-Haridwar(Uttarakhand).

5. VijendraSingh,
S/oMr. Omkar,
R/oVillage-Libberheri,PostLibberheri,
District- Haridwar (Uttarakhand).

6. Sharad Pandey,
S/o Mr. Shriniwas Pandey,
108Sanjay Colony,Roorkee,
District-Haridwar(Uttarakhand).

7. Anik Ahmed,
S/oMr. Mohd Yameen,
R/oSharma Colony,Brahmanwala Dharmpur,
District-Dehradun (Uttarakhand).

8. Ubedur Rehaman,
S/o Mr. Sarwat Kareem Ansari,
R/oMohalla Bandartol, Manglore,
District-Haridwar (Uttarakhand).

9. RajveerSingh.
S/o Sukhpal,
R/o69, Nagla Koyal, Gurukul Narsan,
District-Haridwar (Uttarakhand).

10. Satish Kumar,
S/o Mr.Rakam Singh,
Village Harchandpur, Post Gurukul Narsan,
District-Haridwar (Uttarakhand).

..... Respondents

To,

The Hon'ble Chief Justice and his other Companion Judge of this Hon'ble Court.

The humble application of the Petitioner above named most respectfully showeth:

1. That the instant Election Petition has been filed calling into question the election of the Returned Candidate, Sarwat Kareem Ansari, to the 5th Uttarakhand Legislative Assembly, from 33 – Manglaur Assembly Constituency,Uttarakhand,asvoid on account of the election results, which were declared on 10.03.2022, being materially affected due to the improper acceptance of the Returned Candidate's nomination **[Section 100 (1)(d)(i) of the *Representation of the People Act, 1951*, ('R.P. Act, 1951')]**, as well as non-compliance of the orders issued by the Election Commissionofindia**[Section100(1)(d)(iv)of the *R.P.Act,1951*]**, as well as on the ground of the 'corrupt practice' of 'undue influence' **[Section 100(1)(b) r/w Section 123(2) of the R.P. Act, 1951]**and consequent penal action against the Returned Candidate for giving false information / concealment of information in his Form– 26 Affidavit [Section 125-A of the *R.P. Act*]. The Election Petitioner claims a further relief of a declaration under Sections 84 r/w 101 ofthe *R.P.Act, 1951*, that he himself has been duly elected to the 5th Uttarakhand Legislative Assembly from 33–Manglaur Assembly Constituency, Uttarakhand.

2. That during the pendency of the above noted Election Petition, the Respondent No. 1 i.e. the Returned Candidate namely, Sarwat Kareem Ansari, has been died on 30.10.2023.

3. That in view of the fact that the Respondent No. 1 has been died during the pendency of the above noted Election Petition, a casual vacancy has arisen in the seat of the member elected from 33 – Manglaur Assembly Constituency to the Uttarakhand Legislative Assembly. However, on account of the pendency of the present Election Petition, the Election Commission will refrain from conducting a bye-election to fill the casual vacancy on account of the declaration of law in ***Election Commission of India v. Telangana Rastra Samithi,*** **(2011)1SCC370,**whereinitwasheld that *"although a casual vacancy may have occurred within the meaning of Section 150 of the 1951 Act, those vacancies in which election petitions had been filed and were pending cannot be held to have become available for the purposes of being filled up within the time prescribed under Section 151-A of the 1951 Act."*

4. Hence, in order to facilitate the holding of the bye-elections at the earliest sothatthe33–ManglaurAssemblyConstituency,tothe Uttarakhand Legislative Assembly is duly represented at the earliest, the Election Petitioner seeks withdrawal of the Election Petition.

5. It is reiterated that the present withdrawal application is being filed in a *bona fide* manner on account of the death of the Retuned Candidate against whom the Election Petition was filed and there is absolutely no ill motive or bargain which has motivated the filing of the withdrawal application. As such, there is no legal impediment in allowing the present withdrawal application.

6. That in view of the facts and circumstances stated above, it is necessary in the interest of justice that the Petitioner may kindly be permitted to withdraw the above noted Election Petition, otherwise the Petitioner shall suffer irreparable injury.

PRAYER:-

Itis,therefore most respectfully prayed,that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow the present application and permit the Petitioner to withdraw the above noted Election Petition.

Dated: 25.11.2023

(Qazi Mohammad Nizamuddin)
Petitioner
Through Counsel

(Vipul Sharma)
Advocate
Counsel for the petitioner

(Raveendra Singh Bisht)
Advocate
Counsel for the petitioner

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT

NAINITAL

AFFIDAVIT

IN

WITHDRAWALAPPLICATIONNO.....15.....OF 2023

(Under Section109(1)of the Representation of People Act,1951) IN

ELECTION PETITION NO.04 OF 2022

(Under Section 80 read with 84,100(1)(b),100(1)(d)(i)&(iv),101and

125-A of the Representation of the People Act, 1951)

District-Haridwar

Between

Qazi Mohammad Nizamuddin .....Petitioner

And

Sarwat Kareem Ansari & others .....Respondents

Affidavit of Qazi Mohammad Nizamuddin (Male), Aged about 48 years, S/o Mr. Qazi Mohommad Mohiuddin, R/o House No. 599/1, Mauhalia Qila, Manglore, District-Haridwar (Uttarakhand).

(Deponent)

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and stateon oath as under:-

1. That the deponent is sole Petitioner in the above noted Election Petition, as such he is well acquainted with the facts and circumstances of the case deposed to below.

2. That the instant Election Petition has been filed calling intoquestion the election of the Returned Candidate. Sarwat Kareem Ansari, to the 5th Uttarakhand Legislative Assembly, from 33 – Manglaur Assembly Constituency, Uttarakhand, as void on account of the

election results, which were declared on 10.03.2022, being materially affected due to the improper acceptance of the Returned Candidate's nomination [Section 100 (1)(d)(i) of the *Representation of the People Act, 1951,* ('R.P. Act, 1951')], as well as non-compliance of the orders issued by the Election Commission ofIndia [Section 100(1)(d)(iv) of the *R.P. Act, 1951*], as well as on the ground of the 'corrupt practice' of 'undue influence' [Section 100(1)(b) r/w Section 123(2) of the R.P. Act, 1951] and consequent penal action against the Returned Candidate for giving false information / concealment of information in his Form – 26 Affidavit [Section 125-A of the *R.P. Act*]. The Election Petitioner claims a further relief of a declaration under Sections 84 r/w 101 of the *R.P. Act, 1951*, that he himself has been duly elected to the 5th Uttarakhand Legislative Assembly from 33–Manglaur Assembly Constituency, Uttarakhand.

3. That during the pendency of the above noted Election Petition, the Respondent No. 1 i.e. the Returned Candidate namely, Sarwat Kareem Ansari, has been died on 30.10.2023.

4. That in view of the fact that the Respondent No. 1 has been died during the pendency of the above noted Election Petition, a casual vacancy has arisen in the seat of the member elected from 33 – Manglaur Assembly Constituency to the Uttarakhand Legislative Assembly. However, on account of the pendency of the present Election Petition, the Election Commission will refrain from conducting a bye-election to fill the casual vacancy on account of the declaration of law in *Election Commission of India v. Telangana Rastra Samithi*, (2011)1SCC370, wherein it was held that *"although a casual vacancy may have occurred within the*

meaning of Section 150 of the 1951 Act, those vacancies in which election petition had been filed and were pending cannot be held to have become available for the purposes of being filled up within the time prescribed under Section 151-A of the 1951 Act."

5. Hence, in order to facilitate the holding of the bye-elections at the earliest so that the 33 – Manglaur Assembly Constituency, to the Uttarakhand Legislative Assembly is duly represented at the earliest, the Election Petitioner seeks withdrawal of the Election Petition.

6. It is reiterated that the present withdrawal application is being filed in a *bona fide* manner on account of the death of the Retuned Candidate against whom the Election Petition was filed and there is absolutely no ill motive or bargain which has motivated the filing of the withdrawal application.As such, there is no legal impediment in allowing the present withdrawal application.

7. That in view of the facts and circumstances stated above, it is necessary in the interest of justice that the Petitioner may kindly be permitted to withdraw the above noted Election Petition, otherwise the Petitioner shall suffer irreparable injury

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm on oath and verify that the contents of para no. 1(p), 2, 3(p), 4, 5(p) &6 of withdrawal application and para no. 1, 2(p), 3, 4(p), 5, 6(p) & 7 of this affidavit are true and correct to my personal knowledge; that the contents of para no. 1(p) of withdrawal application and para no. 2(p) of this affidavit are based on information derived fromrecords; that the contents of para no. 3(p) & 5(p) of withdrawal application

and para no. 4(p) & 6(p) of this affidavit are based on legal advice, which all I believe to be true and correct; That no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

So help me God.

(Deponent)

I, Asad Advocate, Ramnagar Roorkee, District- Haridwar do hereby identify the deponent (Mr. Qazi Mohammad Nizamuddin S/o Mr.Qazi Mohammad Mohiuddin) from his photo identity card viz. Adhar No. 5252 0231 5993, and I am satisfied that he is the same person.

Asad
(Advocate)
En.No. UK1653/2022

Solemnly affirmed before me today this 25 day of November, 2023 at 12:25 A.M./P.M. by the deponent who has been identified by the aforesaid Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this objection/affidavit which has been read over and explained to him in his vernacular language.

(Notary Public)

Yours faithfully,
illegible
Deputy Registrar (J.)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/498–भाग 1–क–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या--UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

अधिसूचना

सूचना

14 सितम्बर, 2023 ई0

पत्रांक 84/त्रि0पं0/उप–निर्वाचन/स0ग्रा0पं0/प्र0ग्रा0पं0/2023–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–487/रा0नि0आ0अनु0–2/4116/2023, दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, नवनीत पाण्डे, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), चम्पावत एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
20.09.2023 एवं 21.09.2023 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह् 05.00 बजे तक)	22.09.2023 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	23.09.2023 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह् 03.00 बजे तक)	24.09.2023 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	05.10.2023 (पूर्वान्ह 08.00 बजे से अपरान्ह् 05. 00 बजे तक)	07.10.2023 (पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

विकास खण्डवार रिक्त पदों/स्थानों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	रिक्त पदों/स्थानों का विवरण (संख्यात्मक)	
		सदस्य ग्राम पंचायत	प्रधान ग्राम पंचायत
1	2	3	4
1	चम्पावत	59	01
2	लोहाघाट	20	—
3	पाटी	56	—
4	बाराकोट	32	02
योग	04	167	03

2– उत्तराखण्ड़ पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड़ में यथा प्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड़ में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 (एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड़, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441 (एम0/एस0)/2020 मो0 युनूस बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक

21.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

3– सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

संलग्नक:– सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचनों क्षेत्रों का विवरण।

नवनीत पाण्डे,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत), चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2023 ई0

पत्रांक 85/पचां0चुना0/उप निर्वा0/2023–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–487/रा0नि0आ0अनु0–2/4116/2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के क्रम में मैं अनुराधा पाल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), बागेश्वर जनपद बागेश्वर के त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पादित कराये जाने हेतु सूचित करती हूँ :–

नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जॉच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
20.09.2023 एवं 21.09.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	22.09.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	23.09.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	24.09.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	05.10.2023 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	07.10.2023 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

रिक्त पदों/स्थानों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है–

विकास खण्ड का नाम	रिक्त पदों/स्थानों का संख्यात्मक विवरण			
	सदस्य ग्राम पंचायत	प्रधान ग्राम पंचायत	सदस्य क्षेत्र पंचायत	सदस्य जिला पंचायत
1	2	3	5	6
बागेश्वर	70	01	0	0
कपकोट	43	01	02	01
गरूड	30	0	0	0
योग:–	143	02	02	01

2– संबंधित निर्वाचन अधिकारी रिक्त पदों/स्थानों का विवरण देते हुए अपने स्तर से नामांकन के दिनांक से पूर्व सूचना निर्गत कर उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे तथा इस उप निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे, और संबंधित ग्राम पंचायतों,क्षेत्र पंचयतों, जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में मुनादि द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे । सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0)/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे।

3– उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 (एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441 (एम0/एस0)/2020 मो0 युनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रकिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

4– सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जॉच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

5– जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जॉच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य संबंधित जिला पंचायत के मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना संबंधित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

अनुराधा पाल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/498–भाग 3–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 ई0 (पौष 09, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

I Have changed my name as Sidhanth Sehgal in place of Mal Chand Sehgal, hence now I should be known and recognized as Sidhanth Sehgal S/o Shri Sant Ram.

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Sidhanth Sehgal S/o Shri Sant Ram
Vill. Puranpur Salhapur, Post
Garhmeerpur Distt. Haridwar-249402

सूचना

मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेखों में त्रुटिवश उसका नाम Shashank Ramola व पिता का नाम Ganesh Singh Ramola दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का सही नाम Shashank Chandra Ramola व पिता का सही नाम Ganesh Chandra है भविष्य में मेरे पुत्र को Shashank Chandra Ramola पुत्र Ganesh Chandra के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Ganesh Chandra
निवासी लेन नं.–06, भल्ला फार्म नं- 10,
एस.एन.टेंपल, ऋषिकेश, श्यामपुर, देहरादून।

सूचना

In my Army records my name is mistakenly recorded as KOMAL SINGH whereas my correct name is KOMAL SINGH NEGI and as mentioned in all other decuments.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Army No. 111132Z Ex CPO KOMAL
SINGH NEGI R/O Sarthi Vihar
Ajaypur, Rajeev Nagar P.O.
Nathanpur, Dehradun, Uttarakhand.

सूचना

I have changed my name from Reena Bharati to Reena Sehgal. In future I should be known as Reena Sehgal W/o Sidhanth Sehgal.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Reena Sehgal W/o Sidhanth Sehgal
R/o 141 Puranpur Salhapur, Ranipur
Haridwar.

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद–हरिद्वार

"फीकल स्लज एवं सेप्टैज प्रबंधकीय उपविधि–2022"

07 जुलाई, 2022 ई0

पत्रांक 304 / न0पा0प0मं0 / 2022–23–नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद हरिद्वार, सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च) के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद हरिद्वार द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की उपधारा–1 (II)(III) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "फीकल स्लज एवं सेप्टैज प्रबंधकीय उपनियम–2022" बनाई जाती है जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा दिनांक 25.09.2021 को स्वीकृति उपरान्त प्रस्ताव सं0 02 दिनांक 25.09.2021 के तहत् उपविधि का प्रकाशन आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

विधिमान्य समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन अर्थात एक माह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंगलौर को प्रेषित की जा सकेगी। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय–1
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) ये उप–नियम नगर पालिका परिषद मंगलौर, "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपविधि– 2022" कहलायेगा।

(2) ये उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

2. ये उपविधि नगर पालिका परिषद मंगलौर की सीमाओं के भीतर लागू होगी।

1. प्रसंग :

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है स्थानीय संस्थओं द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक,गडढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति:

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय ,भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहें, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंन्द्रित किया जायें।

शहरी नीति का मुख्य उद्धेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रीव्यपी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र मे हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी

सफाई व्यवस्था। एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों मे नगर और शहरों मे बनी रह सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉलः

नगर पालिका परिषद मंगलौर में "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो की सामान्य सैपटिक टैंक या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है , नियमति रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबन्ध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये। जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा।इसके लिए प्रोटोकोल सैप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके–आदेश सं0–597/IV(2)–शा0वि0–2017–50(सा0)/16, दिनांक 22.05.2017 इस नियमावली का सैप्टेस प्रबंध प्रोटोकोल मंगलौर शहर को दिग्दर्शन कराना है ताकि वैज्ञानिक सैप्टेज प्रबंध बना रहे। जो कि एकत्रीकरण ,परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा–निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य के शहरी क्षेत्र के अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी कियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, जल निगम (पेजल निगम), जल संस्थान, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/स्वास्थय विभाग/तकनिकी विशेषज्ञ होंगे।

2–नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शासानादेश संख्या 597/IV(2)–श0 वि0–2017–50 (सा0)/16 दिनांक 22–05–2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद मंगलौर के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत। जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद मंगलौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्धेश्य एवं कार्य क्षेत्रः

नियमावली के उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैः

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन, ट्रीटमेंट और सुरक्षित रखरखाव, जोकि स्लज और सेफ्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देश करना जोकि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे से और फीकल स्लज एवं सेफ्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें ।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन ।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4.एकत्रीकरण, परिवहन, ट्रीटमेंट और सेप्टेज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रकिया अपनानाः

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बार बार के आखिरमें जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आये।
- जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूमटैंकर का भी उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 . सेप्टेज /फीकल स्लज का परिवहनः

1 फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

2 फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें । जो कि छिद्र निरोधी होगा और बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेंगे

ब.कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और ट्रीटमेंट :

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार नगर पालिका परिषद मंगलौर की अपनी एक इकाई होगी। परन्तु इस निकाय में इकाई न होने के कारण सैप्टेज को निकाय से 25 कि0मी0 दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हेतु भी कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेंगें।

5. सुरक्षा उपायः

1 उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा गियर (उपकरण) का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित है। साथ ही फीकल स्लज एवं सैप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगें किः

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गेयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन गलब्स, रबड बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रिकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये इसके लिए जागरूकता भी की जायेगी। इसके अलावा प्रथम साहयता किट गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामकयंत्र पल निस्तारण गाड़ी में रखें जायेंगें।

ब. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

स. जब सैप्टीक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धुम्रपान वर्जित रहेगा।
द. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेपिटक टैंक में और शौचालय गड्ढे मे प्रवेश नही करेंगें और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना– जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।
ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा, एवं टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया के समयढक्कन पर अत्याधिक भार न हो ताकि मेन हॉल ढक्कन टूटने से बचा रहे ।

6.सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 नगर पालिका परिषद मंगलौर दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत करेगा जोकि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य से उत्साहित करेंगे, पंजीकरण प्रपत्र, और परमिट परिशिष्ट –ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ.	प्रारंभिक पंजीकरण	: रू0 2,000.00 प्रति गाड़ी
ब.	नवीनीकरण	: रू0 1,500.00 प्रति गाड़ी
स.	नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	: रू0 1,000.00 प्रति गाड़ी
द.	अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार	: रू 1,000.00 प्रति गाड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है।

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद मंगलौर में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जोकि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर पालिका परिषद मंगलौर कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 नगर पालिका परिषद मंगलौर अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एंव फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये, जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से नगर पालिका द्वारा वसूल कर नगर पालिका परिषद मंगलौर में जमा किया जायेगा।

ब नगर पालिका किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है।

स. उपभोक्ता लागत को सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना होगा।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत

नगर पंचायत में सेप्टिक टैक एवं हर एक मकान के शौचालय गढ्ढे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सेप्टिक टैंक ओवरफलो तो नहीं हो रहा है तुरन्त नगर पंचायत से सूपरवाईजर को भेजकर जांच करवायेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत में सेप्टिक टैंक का खाली कराने के आवेदन के आने पर नगर पंचायत द्वारा जांच कराई जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितने क्षेत्रफल का और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे। तसदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा।

क्र0स0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है।	मसिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जोकि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा।
1.	टीनशैड वाला मकान कच्चा मकान	2500 1600	कम से कम 2–3 वर्ष में एक बार	50
2.	अन्य समस्त मकान	5000	जब टैंक दो होते है	100
3.	छुकान	3600	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भरा हो।	125
4.	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	3600		250
5.	बैंक	3600		312
6.	सामुदायिक शौचालय/मुत्रालय	3600		500
7.	रेस्टोरेन्ट	3600		500
8.	होटल/गेस्ट हाउस 1–10 कमरें	5000		250
9.	होटल अतिथि गृह 11–20 कमरें	6000		250
10.	होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	8000		500
11.	धर्मशाला 1–25 कमरें	4000		625
12.	धर्मशाला 15 कमरे से ज्यादां	5000		200
13.	3 स्टार होटल	10000		400
14	5 स्टार होटल	12000		750
15	सरकारी स्कूल/कालेज	2500		1000
16.	निजी स्कूल/कालेज	4000		500
17.	2 व्हीलर व्हीकल शोरूम	3600		625

18.	4 व्हीलर वाहन शोरूम	3600		500
19.	होटल 0–20 कमरें	6000		1250
20.	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
21.	होटल 50 कमरें से अधिक	8000		550
22.	विवाह हॉल/बैंकट हॉल	5000		1100
23.	सरकारी हॉस्पिटल	3600		625
24.	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3600		500
25.	पैथोलोजिकल लैब	3600		500
26.	निजी अस्पताल 20 विस्तर तक	4000		500
27.	निजी अस्पताल 20 से 50 तक	5000		1250
28.	निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक	6000		1500
29.	मिल/ अन्य मिल	6000		1750
30.	अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र में	8000		500
31.	अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र से बाहर	10000		1500
32	अन्य			

नोटः

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा निर्णित किये जायेगें।
2. मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा स्वीकृत)
3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।

8. मैकेनिज्म का निरीक्षण, कियान्वयन और मजबूती देनाः

8.1 कोई भी व्यक्ति जोकि एस0एम0सी0/ नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा अधिकृत है,उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा ।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद मंगलौर मे जमा होगी।

8.3 नगर पालिका परिषद मंगलौर और परिचारक अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैक बायोडाइजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निषपादन और सेप्टेज का ट्रीटमेंट हेतु प्रशिक्षण होगा।

9. दंडः

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का/आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना ।

सारणी 3:दंड

क0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1.	लोगों की सेवा की शिकायत	2500	5000	तीन महीने के लिए

2.	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा की विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	4000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
4.	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5000	10000	
5.	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

विजय प्रताप सिंह चौहान,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद मंगलौर।

दिलशाद अली,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद मंगलौर।

कार्यालय नगर पंचायत लालपुर (ऊधम सिंह नगर)

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली/उपविधि

24 अगस्त, 2023 ई0

पत्रांक 147/उप0प्रकाशन/न0पं0ला /2023–24–नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह द्वारा महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–सन 1916) उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त की धारा 3 की उपविधि (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सरकारी गजट उत्तराखँण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्याः 1564iv/(3)/2015–03 (धो)/2015 देहरादून दि 14 सितंबर 2015 के द्वारा नवगठित नगर पंचायत लालपुर के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 267, 276 के अंतर्गत एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम–2000 (1999) एवं भारत के राजपत्र (गजट/अधिसूचना सं0–861) दिनाँक 8 अप्रैल 2016 (संशोधित) अधिनियम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोक सुरक्षा, सुविधा एवं नियंत्रण के उद्देश्य से नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम –2000(1999)/2016 के अधीन रहते हुए नियमावली/उपविधि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 267,270,272,273,274,276, के अंतर्गत नगर पंचायत लालपुर की सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ–साथ कूड़ा–कचरा निस्तारण एवं उपचार तथा गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/नाली, सड़क/खंड़जा, गली में कूड़ा कचरा फेंकने) व्यक्तियों, नागरिको, व्यवसायियों व दुकानदारों पर जुर्माना आरोपित करने हेतु यह उपविधि बनाते है। जिसे एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1) के अंतर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों/व्यपारियों/उधमियों/नागरिको/शैक्षिक संस्थाओ/सामाजिक/धार्मिक संस्थाओ से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उदेश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर–अन्दर प्रशासक नगर पंचायत लालपुर के नाम से नगर पंचायत लालपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। नियत समय अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपनियम

परिभाषाये –जो नगर पंचायत लालपुर से सम्बन्धित है। यह कि -

1- यह उपविधि "नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा- कचरा निस्तारण एवं उपचार/दण्ड प्राविधान नियमावली/उपविधि-2018 कहलायेगी। तथा गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/नाली, सड़क/खंड़जा, गली में कूड़ा कचरा फैकने) अथवा नगर पंचायत लालपुर के द्वारा की दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अड़चन/विद्यन डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, नागरिको, व्यवसायियों व दुकानदारों संस्थाओ पर जुर्माना आरोपित करने हेतु जिनका उल्लेख ऊपर किया गाया है। लोक हित/ नगर हित/सुरक्षा/सुविधा/नियंत्रण करने हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ- साथ कूड़ा-कचरा निस्तारण एवं उपचार उपविधि-2018 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड (यू0पी0) म्युन्सिपलिटीज एक्ट 1916 अध्यादेश 2002 से है।

(ख) नगर पंचायत लालपुर की सीमा तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है,

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के अधिशासी अधिकारी से है,

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं /प्रभारीअधिकारी/प्रशासक/ उपजिलाधिकारी /जिलाधिकारी से है,

(ङ) नगर पंचायत लालपुर की सीमा तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर के सृजन हेतु शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ,

(ग) दण्डाकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के अधिशासी अधिकारी से है, |

2- नगर पंचायत लालपुर की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा- कचरा निस्तारण एवं उपचार नियमवली/उपविधि -2017 के अंतर्गत गंदगी करने वाले (सार्वजनिक नाला/नाली, सड़क/खंड़जा, गली में कूड़ा कचरा फैकने) अथवा नगर पंचायत लालपुर के द्वारा दी जाने वाली सफाई व्यवस्था में अड़चन/विद्‌घ्न डालने अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, नागरिको, व्यवसायियों व दुकानदारों संस्थाओ पर जुर्माना आरोपित करने हेतु जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है पर लागू होगी |

3-इस नियमावली/उपविधि के अंतर्गत नगर पंचायत लालपुर की सम्पूर्ण सीमा में निवासरत नागरिको, व्यक्तियों, एवं दुकानदारों, व्यवसायियों,उद्यमियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय भारत दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों एवं व्यवस्थाओ के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन के साथ-साथ कूड़ा-कचरा निस्तारण एवं उपचार नियमावली/उपविधि-2017 का पालन करना अनिवार्य है |

4 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत में निवासरत व्यक्ति को घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि से उत्पन्न कूड़े कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी |

5 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत में निवासरत व्यक्ति को घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि से उत्पन्न कूड़े कचरे को रखने हेतु दो कूड़ेदानों में जैविक तथा अजैविक कूड़ा कचरा पृथक पृथक रूप से रखना होगा | जैविक कूड़ेदान के अन्दर बचा हुआ खाना, साग, सब्जी, फल के अवशेष तथा सड़ने/ गलने वाली जैसे गत्ता,कागज, कपड़े आदि चीजे रखी जायेगी | अजैविक कूड़ेदान में प्लास्टिक, पॉलीथिन, थर्माकॉल व अगलशील वस्तुए जैसे कांच, लोहा व अन्य चीजे आदि रखनी होगी |

6 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत में निवासरत व्यक्ति को घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक को नियंत्रण हेतु हस्तगत दोनों प्रकार के कूड़ेदानों को रखना होगा |

7 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत सार्वजानिक उपयोग हेतु निवासरत व्यक्ति को घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत लालपुर द्वारा जनहित एवं सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध /स्थापति कराये गये कूड़ेदानों में ही पृथक -पृथक रूप से अपना कूड़ा-कचरा निस्तारित करना होगा |

8 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति को घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरे को नगर पंचायत लालपुर की सार्वजानिक सड़क,खड़जा,गली,नाला,नाली,में डालना प्रतिषेध होगा |

9 -इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरे को यदि घर-घर एवं प्रतिष्ठान से नगर पंचायत लालपुर के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक स्वयंसेवी संस्था द्वारा एकत्र किया जाता है तो निवासरत व्यक्ति से निकाय द्वारा उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) के रूप में मासिक शुल्क वसूला जायेगा |

10-इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरे के एवज में उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्जिज) न देने की स्थिति में सम्बन्धित/ उपभोक्ता के विरूद्व इस उपविधि के अंतर्गत दण्ड प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी |

11-इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि के कूड़े कचरा नगर पंचायत लालपुर के अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक स्वयंसेवी संस्था को न देकर यत्र-तत्र फैकने पर 5000.00 रूपये तक नकद आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है |

12-इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति को अपने घेरलू ,दुकान, प्रतिष्ठान ,उद्यम आदि का कूड़े कचरा के अतिरिक्त अपने व्यक्तियों शौचालय, मूत्रालय, सैप्टिक टैंक का दूषित जल/मलवा/विष्टा/सीवेज आदि नगर पंचायत की सार्वजानिक नाला/नाली/स्थान पर न डाल सकेगा दोषी पाये जाने पर दण्ड का भागी होगा |

13--इस नियमावली/उपविधि के अनुसार नगर सीमांतर्गत निवासरत व्यक्ति /व्यवसायिक दुकानदार/,उद्यमी आदि आधीन रहते हुऐ कोई भी उपभोक्ता शासन द्वारा निर्धारित पॉलीथिन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रकार से शासन द्वारा निर्धारित पॉलीथिन /प्लास्टिक के अतिरिक्त उपयोग/विक्रय नहीं कर सकेगा।

14-इस नियमावली के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायिक दुकानदार/,उपभोक्ता आदि अपनी निजी अथवा सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा किसी भी स्थल/स्थान पर प्लाट/मकान/अहाते में कोई संपतावकरी वस्तु/गन्दगी कूड़ा कचरा अथवा दूषित मल आदि एकत्र न कर सकेगा।

15 -लगयत 1 से 15 के अतिरिक्त राजपत्र (गजट/अधिसूचना -861) दि0 8 अप्रैल 2016 में दिये गए निर्देश का भी पालन इस उपविधि/नियमावली 2017 के अंतर्गत गन्दगी कूड़ा,कचरा उतपन्नकर्ताओ का यह भी कर्तव्य होगा कि -

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक कर और तीन पृथक शाखाओ अर्थात जैविक निम्नीकरण योग्य, गैर अजैविक निम्नीकरण योग्य और घेरलू परिसंकमय के तीन अलग-अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थनीय प्राधिकरणों द्वारा निर्देश या अधिसूचना पर पृथक किएँ गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ को सौपेगा।

(ख) प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरो और स्वास्थ्यकर पेड़ों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्देशित उपयुक्य लपेटन सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए बनाए गए डिब्बे में डालेगा ।

(ग) संनिर्माण और विध्वसं अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भंडारित करेगा, जब कभी वह उत्पन्न होता हो, और उसे संनिर्माणओ और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

(घ)-अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय -समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2)- कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेकेगा न जलाएगा और न गाडेगा।

(3)- सभी अपशिष्ट उत्पानकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिद्रिष्ट किया जाएं।

(4)- कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथककरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा।

(5)- प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्टोजेबल) प्लेटो, कपो, डिब्बों, रैपरों, नारीयल के छिलको, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलो आदि के लिए प्रयोज्य पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचना अपशिष्ट भंडारण डियो या पात्र वाहन में डायेगा:

(6)- उन नियमो के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमो में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रो में संग्रहण करने में सहायता और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठने वालो अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रो को सौपना सुनिशिचत करेगे। जैव- अवक्रमणीय अपशिष्ट जहाँ तक संभव होगा। परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोटानेशन के जरिये किया जाएगा।

(7)- इन नियमो के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संसथान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमो में यथा विहित द्वारा अपशिष्ट को श्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट क़ो अलग -अलग पात्रो में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रको को सौपना सुनिशिचत करेंगे जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को अलग- अलग पात्रो में सशोधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमॉटनेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ या अभिकरण को सौप दिया जाएगा।

(8)- इन नियमो के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमो में यथा विहित द्वारा अपशिष्ट को श्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग -अलग पात्रो में संग्रहण करने में सहायता करने में सहयता करना पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत को अपशिष्ट उठाने वालो अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रको को सौपना सुनिशिचत करेंगे जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को अलग- अलग पात्रो में सशोधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमॉटनेशन के जरिए निपटान किया

जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौप दिया जाएगा।

दण्ड

यू0 पी0 म्यूनिस्पैल्टीज एक्ट 1916 की धारा 299(1) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्ल्घन होने पर मु0 5000.00 (पांच हजार रुपये) मात्र तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा। उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से पांच हजार दण्ड धनराशि के अतिरिक्त प्रति दिन 25.00 रु0 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा। तथा उस पर होने वाले व्यय भार हर्जे खर्चे की वसूली सम्बंधित व्यक्ति से भू राजस्व की भाति वसूल किया जायेगा प्रतिपक्ष वाद समझौता समाधान की स्थिति में समझौता शुल्क के रूप में 2000.00 रूपया अतिरिक्त वाद शुल्क देना होगा

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत लालपुर,
(ऊधम सिंह नगर)

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक,
नगर पंचायत लालपुर,
(ऊधम सिंह नगर)

कार्यालय नगर पंचायत लालपुर (ऊधम सिंह नगर)

भवन/सम्पत्तिकर उपविधि (नियमावली)

24 अगस्त, 2023 ई0

पत्रांक 147/उप0प्रकाशन/न0पं0ला/2023–24—नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–140(1) अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमा अंतर्गत भूमि/भवन कर की व्यवस्था को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु भूमि/भवन कर लागू करने के लिये प्रशासक महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 मे दिये गये अधिकारों के अंतर्गत शासनादेश संख्या 127/XXXVi (3)/2021/27(1)/2021 देहरादून 12 अप्रैल 2021 उपविधि/उपनियम बनाने का निर्णय लिया गया है जिसे उक्त अधिनियम की धारा– 300(1) के अपेक्षानुसार उन समस्त व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है से आपत्तियां एवं सुझावो को आंमत्रित करने के उद्देश्य से, विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रशासक/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर जनपद ऊधम सिंह नगर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त उपविधि एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

उपनियम भवन/भूमि कर

1-परिभाषा -

(क) यह उपविधि "नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत भवन/भूमि कर के विनियम हेतु उपविधि कहलायेगी,
(ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है,
(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के अधिशासी अधिकारी से है,
(घ) सेवक से तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के कमर्चारी से है,
(ड) सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर की शासन द्वारा निर्धारित सीमा से है,
(च) निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत लालपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर से है,
(छ) यह उपविधि सरकारी गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

"भवन/ भूमि कर नियमावली का प्रारूप "

2-(अ)- समस्त भवन /दुकान / होटल व जो भूमि नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंर्तगत स्थिति हो चाहे उसका मालिक उनके स्वंय प्रयोग करता है या किराये पर उठाता है एवं समस्त दुकान, फैक्ट्रियों, कारखानों व् दूसरी तिजारत में इस्तेमाल में आने वाले भवनों व् जमीनों के वार्षिक किराये/मूल्यांकन उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी । तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर प्रारम्भ होने के आगामी 5 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, ततपश्चात अनुवर्ती वर्षों मे सम्पत्ति कर से प्रतिवर्ष बृद्वि की अधिकतम दर नियमावली में निहित रीती से तय की जायेगी ।

परन्तु यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर का निर्धारणं प्रति वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा एक अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पित कर निर्धारित किया जायेगा ।

3-उस भवन या भूमि का जा उपरोक्त वाक्य खण्ड अ में नहीं आता है सामान और मशीनों का किराये पर दी गयी हो उनके किराये को घटकर विशेष किराया आदि जब भूमि या भवन किराये पर न उठाई गई हो तो उचित किराया जिसमे की जाने की आशा हो इमारते हो तो मुस्तरफा अहाते की समस्त इमारते ।

4-(अ)- 15 दिसम्बर को या उसके पहले समस्त निकाय क्षेत्र के भीतर स्थिति ऐसी इमारतों की सूची मे तैयार करेगी जिसके सम्बन्ध में या मालूम हो उन पर कर लगाया जा सकता है निकाय में दर्ज दी गयी प्रत्येक ईमारत की मालियत जो उसने दर्ज न हो पर जिसके सम्बन्ध में मालूम हो उन पर कर लगाया जा सकता है विचार करेगी और कर की यह रकम नियत करेगी जो ऐसी इमारते स्वामी पर निर्धारित की जायेगी प्रत्येक ईमारत का नाम उसके स्वामिओ का नाम वार्षिक मलियत जो उस इमारत की निर्धारित की गयी हो और कर की रकम जो उसके स्वामी पर निर्धारित कर दी गई हो तो निर्धारित सूची में दर्ज की जायेगी जो इस नियमो के संलग्न प्रपत्रों के अनुसार होगी और जनवरी को या उसके पहले की जायेगी ।

(ब)- कर दो बराबर किस्तों में जमा किया जा सकता हैं और अदायगी 15 मई और 15 नवम्बर होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह की यदि कोई ऐसी चाहे तो किसी किस्त को उसकी नियत दिनांक से पहले भी जमा कर सकता है ।

5-(अ)- कोई व्यक्ति किसी भी समय अपना नाम किसी भवन या भूमि के लिये बतौर स्वामी कर की सूची में इन्द्राज करने के लिए प्रार्थना कर सकता है और जब ऐसे प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत करने का कोई पर्याप्त कारण न हो तो अस्वीकृत नहीं किया गया तो उसका नाम कर सूची में इन्द्राज कर दिया जायेगा ।

(ब)-यदि किसी जायदाद के स्वामी के बारे में यह सन्देह हो तो बोर्ड निर्णय देगा कि किसका नाम बतौर स्वामी लिखा जाय और निर्णय जब तक लागू रहेगा जब तक प्रतियुक्त मा0 न्यायालय इसके विरूद्व निर्णय न दे ।

6-(अ)- यदि भूमि भवन जिस पर कर लग चुका है या लगने वाला हो के स्वामित्व के अधिकारों में परिवर्तन करता है और वह व्यक्ति जिसका अधिकार परिवर्तन किये जाते है, ऐसे परिवर्तन के दस्तावेज के लिए जाने या पंजीकरण किया गया हो तो वह तीन माह के अन्दर इस अधिकार परिवर्तन की सूचना अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालपुर को देगा ।

(ब)-यदि भवन या भूमि जिस पर कर लग चुका है अथवा लगने वाला है के स्वामी की मृत्यु हो गई हो तो उत्तराधिकारी तीन माह के अन्दर इसकी सूचना नगर पंचायत को देगा ।

7-(अ)- ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हक में परिवर्तन किया गया हो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मांगने पर परिवर्तन का दस्तावेज या उसका प्रतिलिपि जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 के अधीन प्राप्त की गयी हो प्रस्तुत करेगा ।

(ब)-वह व्यक्ति जिसके ऊपर उत्तराधिकारी के नोटिस का उत्तरदायित्व उपर्युक्त नियमो के अनुसार जायदाद का पिछला कर दाखिल खारिज/नामांतरण के स्वकृत हो जाने से पूर्व जमा कर देगा ।

8-दाखिल खारिज/नामांतरण के प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेगे किन्तु शर्त यह कि किसी भी मामले को बोर्ड के निर्णय के लिये रखा जा सकता हैं ।

9-यह कर अधिनियम के अनुसार अधिशासी अधिकारी की देख-रेख में वसूल किया जायेगा ।

10-यदि किसी व्यक्ति का कर शेष रहेंगा तो वह नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173 (क) के अंतर्गत वसूल किया जायेगा। यह कर कार्यालय नगर पंचायत के इंडोर प्रणाली की ओर से वसूल किया जायेगा।

11-माफ़ी या वापसी प्राप्ति के लिये इमारत का स्वामी जो अलग-अलग हिस्सों पर हो इमारत लगाये जाने के समय एसेसमेंट लिस्ट निर्धारण सूची के तमाम इमारत वार्षिक मूल्य के अतिरिक्त उसके अलग-अलग भागो में विस्तार से लिखे जाने के लिये निकाय से प्रार्थना कर सकता है।

12-नगर पंचायत लालपुर भवन कर लगाने के लिये स्वामी के पास भवन जिस पर नगर पंचायत लालपुर कर लगाने का समस्त अधिकार रखती है पर्याप्त है चाहे वह भूमि अथवा ततसम्बधी वस्तु किराये से मुक्त क्यों न हों ।

"कर का विवरण "

1- नगर पंचायत लालपुर की सीमा के अंतर्गत भवनों/भूमि पर उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 iv(2)-शा0वि0-2022-23(सा0)/2022 दिनाँक मई 2022 के द्वारा सर्किल रेट के 0.01 प्रति की दर से लगया जायेगा ।

2- यह कर जायदाद के स्वामी पर लगाया जायेगा

3- यह कर निकाय या निकाय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित किया जायेगा और कर निर्धारण के वर्ष की सूची जो इन नियमो से संलग्न प्रपत्रों के अनुसार होगी और 20 जनवरी को या इससे पूर्व पूरी कर दी जायेगी ।

4-कर निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर ऐसे स्थानों की सूचना दी जायेगी जहाँ पर सूचियाँ देखी जा सकती है और सभी संबन्धित व्यक्तियों को बजरिये व्यापक प्रचार तथा स्थानीय अखबार के माध्यम से सूचित किया जायेगा इस घोषणा के 30 दिन के अन्दर आपित्तयाँ निकाय द्वारा प्राप्त की जायेगी और ऐसी आपित्तया निकाय द्वारा, नियत तारीख को सुनी जायेगी ।

5-आपित्त यदि हो तो उजरदार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में तय की जाऐगी । उजरदार या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में आपित्तयों पर एक तरफा निर्णय लिया जायेगा, और सूची में ऐसे संसोधन किये जायेगे जो आवश्यक है ।

6-जब निकाय इस प्रकार की सूची को अन्तिम रूप दे चुकी हो तो वह सूची समस्त कागजात सहित पुष्टिकरण के लिये नियत प्राधिकारी को भेज दी जायेगी ।

7-नियत प्राधिकारी को या कोई नियत प्राधिकारी नियुक्त न किया गया हो तो जिलाधिकारी महोदय निर्धारित सूची की जाँच करेंगे या उसे या उसी रूप में पुष्टि कर देंगे या निकाय को उसके ऐसे बदलाव शुद्धिया या संसोधन करने के ऐसे आदेश देंगे जो उनकी राय में आवश्यक या न्यायोचित हो और जब उपरोक्त बदलाव आदि किये जा चुके हो तो वह उस सूची की पुष्टि कर देंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे जो इस बात का प्रतीक होगा कि वह सूची में पुष्टि कर दी गई है ततपश्चात वह सूची कमेटी को लौटा दी जायेगी ।

8-उपरोक्त खण्ड 7 में पुष्टि की गई सूची को कार्यालय नगर पंचायत लालपुर में जमा करा दी जायेगी और उसके बाद सार्वजनिक नोटिस देकर यह घोषणा की जायेगी की सूची निरीक्षणं के लिये उपलब्ध है ।

9-उन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथियों से भूमि/भवन कर से संबन्धित समस्त पूर्व प्रभावी उपविधियाँ स्वत: समाप्त हो जायेगी ।

10-निम्नलिखित कर से युक्त रहेगे :-

(क) मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, इमामबाड़ा, दरगाह, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि तथा खैराती संस्थाये सिवाय वह भाग जो किराये पर चल रही हो उस पर गृहकर निर्धारित किया जायेगा ।

(ख) नगर पंचायतो के कर्मचारियों की इमारते जिनमे वह स्वयं रहते है ।

"दण्ड"

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 धारा 299 (1) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत लालपुर जनपद ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लधंन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो रू0 1000.00 तक हो सकता है और उल्लधंन निरंन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी कर सकता है रू0 50.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है ।

"भवन कर हेतु क्षेत्र विवरण"

भवन कर निर्धारण हेतु पूरे नगर पंचायत लालपुर क्षेत्र के लिए मानक बनाये गये जो निम्नवत है :-

1-प्रदत्त सुविधाये ।

2-भवन की प्रायोगिक स्थित यथा मानसिक रूप से विक्षिप्त/विकलांग अथवा अन्य प्रकार समस्याग्रस्त अंत्योदय/बी0 पी0एल0 परिवार।

3-उक्त मानक नगर पंचायत लालपुर के समस्त वार्डो में लागू होंगे ।

4-शहरी क्षेत्र-नगर पंचायत लालपुर के समस्त वार्ड उक्त करो में हर पांच वर्ष बाद 25 प्रतिशत की औसत से संशोधित होते रहेंगे ।

"शहरी क्षेत्र"

क्र0सं0	भवन	पक्का भवन प्रति प्रतिवर्ष दर रु० में सुविधायुक्त/ सुविधारहित
1	स्वयं आवासीय भवन	समस्त भवन/दुकान /होटल व् जो भूमि नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत स्थिति हो चाहे उसका मालिक उनको स्वयं प्रयोग करता है या किराये पर उठाना है एवं समस्त दुकान, फैक्ट्रियों, कारखानों व् दूसरी तिजारत में इस्तेमाल में आने वाले भवनों व् जमीनों के वार्षिक किराये/मूल्यांकन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी । तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पति कर प्रारम्भ होने के आगामी 5 वर्षो में किसी भी दशा ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तत्पश्चात अनुवर्ती वर्षो में सम्पति कर से प्रतिवर्ष बृद्वि की अधिकतम दर नियमावली में निहित रीति से तय की जायेगी ।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत लालपुर,
(ऊधम सिंह नगर)

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक/उपजिलाधिकारी,
नगर पंचायत लालपुर,
(ऊधम सिंह नगर)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/498–भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।